केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड
THE CENTRAL ADVISORY BOARD OF EDUCATION

इक्यावनवीं बै
Fiftyfirst Meeting 10-11 August, 2004, New Delhi

कार्यवाहियां
PROCEEDINGS

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

माध्यमिक औ च्चतर शिक्षा विभाग
DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION

प्रारंभिक शिक्षा औ
DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION & LITERACY

नई दिल्ली
NEW DELHI

2005

विषय–वस्तु

पृष्ठ

10–11 अगस्त 2004 को आयोजित केब की बैठक का कार्यवृत्त 05

संलग्नक

1. सहभागियों की सूची 50
2. कार्यसूची 54
3. बैठक में परिचालित कागजातों की सूची 55
4. हिमाचल प्रदेश की उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्रीमति आशा कुमारी का अभिभाषण 56
5. दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के शिक्षामंत्री श्री अरविन्दर सिंह लवली का भाषण 62
6. मिजोरम के स्कूल शिक्षा मंत्री डा. आर. लालथंगलियाना का भाषण 68
7. 'उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता की ओर' विषय पर प्रो. जे.एस. ग्रेवाल का एक नोट 71
8. मध्य प्रदेश की शिक्षा मंत्री श्रीमति अलका जैन का भाषण 74
9. 'देश में हमारे संस्थानों में इंजीनियरी एवं प्रोद्योगिकी शिक्षा को पुर्नजीवित करना' के विषय पर दिल्ली कालेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्राचार्य श्री पी.बी. शर्मा का नोट 76

10–11 अगस्त, 2004 को नई दिल्ली के अशोक होटल के कन्वैन्शन हाल में आयोजित केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 51वीं बैठक का कार्यवृत्त

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 51वीं बैठक दिनांक 10–11 अगस्त, 2004 को नई दिल्ली के अशोक होटल के कन्वैन्शन हाल में आयोजित की गई थी। इस बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची संलग्नक–। में दी गई है। बैठक की कार्यसूची संलग्नक–।। में दी गई है तथा बैठक में जारी की गई दस्तावेजों की सूची संलग्नक–।।। में दी गई है।

1.2 बैठक के औपचारिक उद्घाटन से पूर्व श्री घनश्याम तिवारी, शिक्षा मंत्री, राजस्थान ने आपत्ति की कि बैठक की कार्यसूची में यह संकेत मिलता है कि मंत्रालय वर्तमान सरकार के कार्यभार संभालने के पश्चात सरकार के कार्यकलापों का इस मंच से संस्वीकृत कराना चाहता है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की विगत बैठक के कार्यवृत्त को परिचालित न करने तथा चतुर्वेदी समिति जिसे पिछली सरकार ने उक्त बैठक में उठाए गए एक मुद्दे पर गठित किया था, को कोई विचाराधीन विषय न बनाने पर आपत्ति व्यक्त की। कुछ अन्य सदस्यों ने शिक्षा मंत्री, राजस्थान के हस्तक्षेप का विरोध करते हुए कहा कि अभी बैठक शुरू भी नहीं हुई है तथा बैठक के शुरू होने से पूर्व इस तरह से विरोध व्यक्त करना वास्तव में आपत्तिजनक है। इसके बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने कुछेक अन्य राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ नारे लगाते हुए बैठक से बहिर्गमन किया। अन्य राज्यों के कुछ शिक्षा मंत्रियों ने इस कार्रवाई की निंदा की तथा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री एवं केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष श्री अर्जुन सिंह का धन्यवाद किया तथा बैठक को शुरू करने का आग्रह किया।

1.3 चर्चा आरंभ करते हुए श्री बी.एस. बासवान, सचिव (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा) ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया तथा उन मुद्दों जिन पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने विरोध जताया था, के प्रत्युत्तर में स्पष्टीकरण दिया कि वर्ष 1994 में आयोजित केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की पिछली बैठक के कार्यवृत्त को परिचालित किया जाएगा तथा यह उल्लेख भी किया कि 10 वर्ष की अवधि के बाद केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन व्यापक सहमति बनाने के प्रयास का ही परिचायक है। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक के आयोजन का आशय किसी पर अपने विचार थोपना नहीं है बल्कि व्यापक सहमति विकसित करना है ताकि सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के प्रति पूरी प्रतिबद्धता सुनिश्चित की जा सके।

1.4 सचिव (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा) ने कहा कि वह केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के लब्धप्रतिष्ठ सदस्यों के विचार के लिए मामलों को उठाएंगे तथा उन्होंने उल्लेख किया कि पहला प्रश्न संसाधनों से संबंधित है, विशेषकर माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा के लिए। उन्होंने उल्लेख किया कि बजट प्रक्रिया के अन्तर्गत सामाजिक क्षेत्र में बिजली, पानी तथा सड़कों आदि को प्राथमिकता मिल जाती है तथा शिक्षा क्षेत्र को संसाधनों का अभाव झेलना पड़ता है। संसाधनों को बढ़ाने के संबंध में उन्होंने बताया कि यद्यपि अभी की तुलना में अधिक राशि जुटाई जा सकती है तथापि संसाधनों की बड़ी राशि जुटानी शेष रह जाएगी। अतएव हमें सार्वजनिक निजी भागीदारी, सामुदायिक/सरकारी भागीदारी तथा प्रयोक्ता प्रभार लगाने संबंधी मुद्दों की गहन जांच करनी होगी। उनके अनुसार प्रयोक्ता प्रभार से आर्थिक लाभ के अलावा अन्य फायदा भी होगा अर्थात मनोवैज्ञानिक पहलू जिससे प्रयोक्ता की सक्रिय

भागीदारी सुनिश्चित होती है। यदि प्रयोक्ता उचित राशि का भुगतान करता है तो वह चाही गई सेवा के प्रति सजग होता है तथा वह किए गए भुगतान के लिए उचित वितरण की मांग करता है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे सिविल सेवी अधिक जवाबदेह बनेंगे।

1.5 सचिव (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा) द्वारा उठाया गया दूसरा मामला, कुछ निकायों की नियामक भूमिका बनाम स्वायत्तता का मुद्दा संबंधी था। उन्होंने बताया कि बहुधा इन निकायों की भूमिका, विकासात्मक न होकर नियामक प्रवृत्ति की होती है। उन्होंने सदस्यों से केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में यह विचार विमर्श करने का आग्रह किया कि ऐसे निकायों के अधिदेशों को आधुनिक अर्थव्यवस्था और समाज की सांप्रतिक आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में संगत बनाने हेतु आवश्यक सर्वोत्तम परिवर्तन किस प्रकार किए जा सकते है।

1.6 सचिव (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा) ने यह भी उल्लेख किया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आपूर्ति तथा मांग में काफी अंतराल है तथा उन्होंने कहा कि संभवतः इस बैठक में यह विमर्श भी हो कि इस अंतराल को कैसे पाटा जाए तथा इस संबंध में कोई रूकावट हो तो उसे किस प्रकार हटाया जाए।

1.7 सचिव (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा) ने तत्पश्चात श्रीमती कुमुद बंसल, सचिव (प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता) से स्वागत अभिभाषण के लिए अनुरोध किया।

2. अपने अभिभाषण के प्रारंभ में श्रीमती कुमुद बंसल, सचिव (प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता) ने उल्लेख किया कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सम्मेलन एक ऐतिहासिक घटना है जिसके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री ने शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर राज्य सरकारों तथा पणधारियों से परामर्श की प्रकिया को दुबारा आरंभ किया है। उन्होंने यह उल्लेख किया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय में प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग अन्य कार्यक्रमों के साथ–साथ प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण, जो देश की सर्वोपरि चिंता है, के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करता है। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रीय करों पर 2% उपकर लगाने संबंधी वर्तमान सरकार के प्रयास से गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की प्रकिया को गति मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की प्रबल चाह की परिणति संविधान संशोधन के रूप में हुई है और प्रारंभिक शिक्षा अब प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान एक अग्रणी कार्यक्रम है तथा उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि लगभग सभी राज्यों ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित तंत्र को तैनात कर रखा है और अपना 25% हिस्सा भी दे दिया है। उन्होंने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्री ने सभी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों से यह अभियान चलाने का आग्रह किया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि 6 से 14 आयु वर्ग का कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रह जाए और उन्होंने पत्र में यह विचार भी व्यक्त किया है कि यह तभी संभव हो सकता है जब राज्य सरकारों के सभी सम्बद्ध शिक्षा मंत्री वैयक्तिक नेतृत्व प्रदान करें तथा शिक्षक, अभिभावक तथा समाज जैसे सभी पणधारियों को इसमें शामिल किया जाए। तथापि, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि सभी प्रयासों के बावजूद बालिकाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक समुदायों तथा विकलांग बच्चों का नामांकन काफी कम है जो अभी भी चिंता का विषय है तथा उस पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने यह विचार भी व्यक्त किया कि सरकारी तथा अर्धसरकारी प्रारंभिक स्कूलों में उपलब्धि स्तर संतोषजनक नहीं है तथा उसमें सुधार की जरूरत है। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किए जाने से संबंधित विभिन्न अनुभवों

को सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है तथा उन्होंने उस पर गहनता से कार्रवाई करने तथा राज्यों में कार्यान्वयन कार्मिकों के चयन में सावधानी बरतने तथा उनके लिए उचित कार्यकाल सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया तथा विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रालयों से इन विषयों पर ध्यान देने का अनुरोध किया।

2.2 सचिव (प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता) ने आगे यह उल्लेख किया कि 13 राज्यों में अभी भी पका–पकाया मध्याह्न भोजन योजना को कार्यान्वित नहीं किया गया है तथा उन्होंने 1 सितम्बर, 2004 तक देश में पका हुआ मध्याह्न भोजन प्रदान करने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पके हुए मध्याह्न भोजन को प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि करने संबंधी मामले को उचित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है तथा अंतिम निर्णय को शीघ्र ही सम्प्रेषित किया जाएगा। तथापि उन्होंने सुझाव दिया कि इस संबंध में अंतिम निर्णय में हो रहे विलम्ब को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में आड़े नहीं आना चाहिए।

3. अपने अभिभाषण के प्रारंभ में मानव संसाधन विकास मंत्री ने यह इच्छा जाहिर की कि जिन सदस्यों ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक के लिए विरोध जताया, उन्हें यह सुनने के लिए उपस्थित रहना चाहिए था कि इस संबंध में मेरे क्या विचार हैं। उन्होंने सभी सम्बद्ध सदस्यों को आश्वासन दिया कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन का प्रयोजन किसी विशेष एजेंडे को थोपना नहीं है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सभी सदस्यों को यह याद दिलाया कि पिछले दस वर्षों से केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड अस्तित्व में नहीं था और उन्होंने अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को किसी व्यक्ति की मनमर्जियों अथवा खास लोगों के समूह पर नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि इस क्षेत्र में निर्णय समुदाय की संपूर्ण भागीदारी के आधार पर होंगे तथा इसी सहभागिता से ही सहमति बनेगी। केवल इसी वजह से केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया।

3.2 उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा संबंधी मामलों में वह अपने विचार तथा अपना मन्तव्य थोपना नहीं चाहते, यदि वे ऐसा चाहते तो यथास्थिति को जारी रहने देते और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन नहीं होता। तथापि, चूंकि यह उनकी मान्यता थी कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में नीतियां सर्वसम्मति के आधार पर विकसित करनी होंगी अतएव उन्होंने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया तथा उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि यह कार्य उन्होंने सभी राज्यों के सहयोग से किया। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे शिक्षा क्षेत्र में इस नए अध्याय की शुरूआत के लिए एकजुट होकर कार्य करें।

3.3. उन्होंने बताया कि वह अपना तैयार भाषण नहीं पढेंगे परंतु वे कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डालेंगे और उन्होंने यह अनुरोध किया कि उनके भाषण को पढ़े गए भाषण के रूप में समझा जाए। उन्होंने अन्य प्रतिनिधियों से भी आग्रह किया कि वे अपने भाषणों को न पढ़ें, उन्हें कार्रवाई का एक भाग समझा जाएगा तथा उनसे अनुरोध किया कि वे इस बैठक में अपने भाषणों के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डालें।

3.4 मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि सांप्रदायिकता के मुद्दे को उठाया गया है और साथ ही यह भी कहा कि इससे निपटने में संकोच का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका एक कारण है कि भारत एक विशाल देश है, जहां विविधता के बावजूद एकता है। कुछ विशेष मूलभूत बातें जो सभी

नागरिकों से संबद्ध है, उनमें एक यह है कि मनमाने निर्णय नहीं लिए जा सकते और न ही ऐसे निर्णय लिए जाएंगे, केवल पहले से मौजूद और मान्य तरीके से ही निर्णय लिए जा सकते हैं।

3.5 चिंतन और दृष्टिकोण को विभेदकारी बनाने के प्रयत्नों के आरोप का उत्तर देते हुए उन्होंने विचार व्यक्त किया कि चिंतन को विभेदमूलक नहीं बनाया जा सकता और विचार एक सच्चाई है जिसे भेदमूलक नहीं बनाया जा सकता। केवल अधिप्रचार ही भेदमूलक होते हैं और किसी प्रकार के अधिप्रचार में पड़ने की उनकी इच्छा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए भारत के संविधान की प्रस्तावना ही मार्गदर्शक है और उन्होंने वहां उपस्थित प्रत्येक प्रतिनिधि से अनुरोध किया कि वे बताएं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय इन प्रावधानों का उल्लंघन अथवा खंडन तो नहीं है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस प्रकार के सभी सुझावों का स्वागत होगा और ऐसे निर्णयों/कार्रवाइयों को शीघ्र ही सुधारा जाएगा।

3.6 मानव संसाधन विकास मंत्री ने उल्लेख किया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और कुछ हद तक महिलाओं जैसे समाज के वंचित वर्गों के लिए सभी कार्यक्रमों में एक विशेष बल होना चाहिए और उल्लेख किया कि ऐसे बल को लाने का और जहां संभव हो वहां इसे बढ़ाने का प्रस्ताव है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रतिनिधियों से अपने अमूल्य सुझाव/विचार देने का आग्रह किया और कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है और उन्होंने प्रस्ताव किया कि इस पक्ष को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। उन्होंने सदस्यों को बताया कि अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा मानीटरिंग समिति गठित की गई है तथा उन्होंने प्रतिनिधियों को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा तथा कल्याण के संबंध में दिनांक 3 जुलाई, 2004 को एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देशभर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने यह भी बताया कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संबंध में सम्मेलन में उठाए गए मुख्य मुद्दों पर विचार किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा मानीटरिंग समिति के माध्यम से विचार किया जाएगा।

3.7 देश की शैक्षिक संरचना की रूपरेखा बनाने वाली संस्थाओं को मानव संसाधन विकास मंत्री ने अपेक्षित स्वायत्तता दिए जाने पर बल दिया तथा यह कहा कि विचारों में मतभेद होने के बावजूद इस स्वायत्तता को बरकरार रखना होगा। तथापि उन्होंने यह भी बताया कि यदि स्वायत्ता का दुरूपयोग अपेक्षित उद्देश्यों की बजाय अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकार को इस दुरूपयोग को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना होगा, फिर भी यह हस्तक्षेप स्वायत्तता को नियंत्रित करने के मूल्य पर नहीं होगा।

3.8 इन शब्दों के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्री ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया तथा यह आशा व्यक्त की कि पुनर्गठित केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार वह वर्ष 1923 में अपने गठन के समय करता था। मानव संसाधन विकास मंत्री ने उस बात का स्मरण दिलाया कि जब श्री राजीव गांधी ने वर्ष 1985 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रतिपादन का निर्णय लिया था, उस संबंध में देश के प्रत्येक कोने से विचार प्राप्त हुए थे तथा लगभग डेढ वर्ष तक इस संबंध में प्रत्येक शिक्षाविद से परामर्श किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व इस मामले पर संसद में भी चर्चा की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने स्वयं ही यह निर्धारित किया था कि इस नीति की प्रत्येक पांच वर्ष में समीक्षा की जानी चाहिए क्योंकि विचार बदलते रहते हैं। तदनुसार मानव संसाधन विकास मंत्री ने यह सुझाव

दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा अगले वर्ष की जानी चाहिए ताकि अन्य आवश्यक उपायों पर विचार किया जा सके। इन शब्दों के साथ मानव संसाधन विकास मंत्री ने बैठक में आए हुए सभी प्रतिनिधियों का एक बार पुनः स्वागत किया तथा सचिव (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा) से अनुरोध किया कि वे प्रतिनिधियों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करें।

सचिव (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा) ने असम के मुख्यमंत्री श्री तरूण गोगोई को अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया।

4. श्री तरूण गोगोई असम के मुख्यमंत्री ने नीतिगत मामलों पर संविधान की प्रस्तावना को महत्व देने संबंधी अध्यक्ष के विचार से सहमति व्यक्त की और उन्होंने कहा कि प्रस्तावना के उस भाग पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय की बात की गई है। उन्होंने कहा कि इन लक्ष्यों को मानव संसाधन विकास तथा सभी संबंधितों की सहमति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने आग्रह किया कि समूचे देश में शिक्षा की एमरूपता संबंधी प्रगति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि सभी को समान अवसर प्रदान करके क्षेत्रीय असमानता के मुद्दे का हल किया जाना चाहिए तथा यह आग्रह किया कि समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र निजी निवेश को आकर्षित नहीं कर सकता अतएव शिक्षा क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक सार्वजनिक निवेश अपेक्षित है। उन्होंने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत, राज्य सरकारों के लिए केंद्र सरकार से 75ः वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए 25ः अपने हिस्से को जुटाना कठिन होगा। अतएव उन्होंने आग्रह किया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र तथा राज्य के बीच निधियन का हिस्सा क्रमशः 90:10 होना चाहिए तथा इस पैटर्न को समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अपनाया जाना चाहिए कयोंकि इस क्षेत्र के अधिकांश राज्य निर्धन हैं तथा शिक्षा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपेक्षित संसाधनों को जुटाने में अक्षम हैं।

4.2 उन्होंने उल्लेख किया कि एक अन्य मुद्दा सही प्रकार की शिक्षा प्रदान करने का है, जो क्षेत्र विशेष के अनुरूप हो और वर्तमान जरूरतों को पूरा करे। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना समय की मांग है, जिसे धीरे–धीरे पूरा किया जाएगा। उन्होंने अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता बताई, विशेष रूप से गणित, विज्ञान और अग्रेंजी में और सरकार से प्रशिक्षित शिक्षकों को इस क्षेत्र में आकर्षित करने हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन अथवा पैकेज प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने आग्रह किया कि पाठ्यचर्या में इस प्रकार बदलाव किया जाए कि शिक्षा स्व–रोजगार के विकल्प पैदा करे। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह के कारणों में से एक यह भी है कि शिक्षित युवा रोजगार प्राप्त नहीं कर सके। उन्होंने अनुरोध किया कि इस क्षेत्र में अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालयों के प्रावधान के साथ–साथ विश्वविद्यालयों/इंजीनियरिंग कॉलेजों के पुस्तकालयों का स्तरोन्नयन किया जाए, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र द्वारा ली जानी चाहिए। उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सकल बजटीय सहायता का 10 प्रतिशत उद्दिष्ट करने में छूट प्राप्त करने के लिए पिछली सरकार के विवादास्पद प्रस्ताव का उल्लेख किया और इस निर्णय को बदलने और पहले की पद्धति को बहाल करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री को धन्यवाद दिया।

5. श्री यू.आर. अनन्तमूर्ति, सदस्य ने साझा स्कूल प्रणाली कार्यान्वित करने की आवश्यकता बताई और कहा कि प्रारंभिक स्तर पर ही पैदा होने वाले विभेद, जो वास्तव में गरीबों के 'भारत' और विशिष्ट वर्ग के 'इण्डिया' के रूप में देश को बाँट रहे हैं, को दूर करने की दिशा में सभी स्कूलों में वंचित समूहों और अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के नामांकन की बाध्यता होनी चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि

या तो सरकारी स्कूलों को अधिकार प्रदान किया जाए अथवा निजी स्कूलों को समझा–बुझाकर अथवा कानून के माध्यम से समाज के सभी स्तरों के बच्चों को प्रवेश देने के लिए तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि साक्षरता अभियान तभी सार्थक होगा जब हम ऐसे साझा स्कूलों का सुनिश्चय कर पाएं जहाँ समाज के सभी स्तरों के बच्चे उपस्थित हों और जहाँ प्रत्येक बच्चे के साथ उसके सामाजिक स्तर को ध्यान में न रखते हुए समान व्यवहार किया जाए।

6. श्री नवाब मलिक, तकनीकी शिक्षा मंत्री, महाराष्ट्र ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री को धन्यवाद दिया और महाराष्ट्र सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए/लिए गए प्रगतिशील कदमों/निर्णयों को समिति के समक्ष रखने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अंग्रेजी को सभी स्कूलों में पहली कक्षा से एक अनिवार्य विषय के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया है और यह निर्णय विगत चार वर्षों से कार्यान्वित किया जा रहा है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे उच्चतर शिक्षा के लिए प्रतिस्पर्धा में समान अवसर प्राप्त करें। दूसरे, उन्होंने आग्रह किया कि मध्याह्न भोजन योजना के लिए दी जा रही 50 पैसे की राशि को बढ़ाकर एक रूपया किया जाए और यह भी कि सर्व शिक्षा अभियान की योजना के तहत केवल वंचित बालकों को दी जा रही पुस्तकें सभी बालकों को उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने उल्लेख किया कि ग्रामीण महाराष्ट्र में बिना अनुदान के बड़ी संख्या में स्कूल चल रहे हैं इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि इन स्कूलों को भी मध्याह्न भोजन योजना के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाए और यह भी कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत दी जाने वाली पुस्तकें इन स्कूलों में नामांकित बच्चों को भी दी जाएं।

6.2 अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा के बारे में बात करते हुए उन्होंने उल्लेख किया कि देश में बड़ी संख्या में मदरसे अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। किंतु मदरसों में आधुनिक शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है जिसके परिणामस्वरूप जिन बच्चों ने मदरसों में शिक्षा प्राप्त की है वे केवल मौलवी बनने की होड़ में रहते हैं और आधुनिक उच्चतर शिक्षा के लिए तैयार नहीं होते। उन्होंने कहा कि सरकार मदरसा शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु एक भिन्न पाठ्यक्रम तैयार करे ताकि मदरसों से उत्तीर्ण होने वाले बच्चे मुख्यधारा में शामिल हो सकें और रोजगार के विकल्प प्राप्त कर सकें। उन्होंने सरकार से इस संबंध में एक उपयुक्त नीति बनाने का आग्रह किया।

6.3 उन्होंने महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई ''आर्टीजन टू टैक्नोक्रैट'' नामक एक अन्य प्रगतिशील योजना का उल्लेख किया। इस योजना का उद्देश्य उन बालकों के कौशलों को अद्यतन बनाना है जो वास्तव में इस कार्य के लिए अपेक्षित जानकारी/कौशल न रखते हुए भी पढ़ाई छोड़कर मैकेनिकों अथवा कारपेंटरों का काम शुरू कर देते हैं। यह योजना उन्हें योग्य व्यवसायी बनाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करती है। प्रशिक्षण के बाद महाराष्ट्र सरकार तीन स्तरों में परीक्षा का आयोजन करती है। इन स्तरों को पार करने वालों को इंजीनियरिंग कॉलेजों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने उल्लेख किया कि सरकार ने प्रथम वर्ष में 1 लाख बालकों को प्रशिक्षित करने हेतु एक कार्यक्रम तैयार किया है। उन्होंने आग्रह किया कि इस प्रकार का कार्यक्रम संपूर्ण देश में अपनाया जाए ताकि हमारे अकुशल कामगार व्यावहारिक जानकारी प्राप्त कर सकें और देश के विकास में योगदान कर सकें।

6.4 उन्होंने उल्लेख किया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में तकनीकी, मेडिकल और उच्चतर शिक्षा के प्राइवेट कॉलेज बड़ी संख्या में हैं जिनमें 50% सीटें शुल्क मुक्त हैं और 50% सीटों पर शुल्क लिया जाता है। तथापि सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही के निर्णय ने प्रति वर्ष 40,000 रू.

शुल्क के रूप में निर्धारित कर दिया है। उन्होंने महसूस किया कि इससे वास्तव में गरीब बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा के रास्ते बंद होंगे क्योंकि अनेक अभिभावकों की वार्षिक आय भी 40,000 रू. तक नहीं पहुँचती। इसके अलावा, उन्होंने महसूस किया कि एक समान शुल्क संरचना वाले और अधिक प्राइवेट स्कूल/संस्थाएँ खोलना आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सरकार से इन मुद्दों की जाँच करने और एक ऐसी शुल्क संरचना, जिसके माध्यम से गरीब बच्चा अपनी शिक्षा के लिए भुगतान की स्थिति में हो, बनाने हेतु कोई कानून बनाने अथवा एक संसदीय अधिनियम लाने का आग्रह किया।

7. सुश्री निर्मला देशपांडे, सदस्य ने केब की बैठक बुलाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री का आभार प्रकट किया तथा कहा कि बुनियादी शिक्षा की एक ही पाठ्यचर्या होनी चाहिए, चाहे स्कूल निजी हो या सरकारी, जिससे कि शहरी और ग्रामीण भारत के बीच अंतर को पाटा जा सके। उन्होंने दिमाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी), दिल (जीवन मूल्य एवं संस्कृति) तथा हाथ (व्यावसायिक शिक्षा) के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली गाँधी जी की शिक्षा से जुड़ी विचाराधारा का उल्लेख किया तथा सभी के द्वारा सादा जीवन अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि दूसरे सहजता से जी सकें। उन्होंने देश में व्याप्त गरीबी का भी उल्लेख किया तथा कहा कि शिक्षा को चाहिए कि वह लोगों को स्व–रोजगार के लिए तैयार करे ताकि जनसंख्या का बड़ा हिस्सा बेरोजगार न रहे। उन्होंने आग्रह किया कि आगे से आगे की जैसे कि अगले 25 वर्षो की हमें योजना बनानी चाहिए कि तत्काल देश में कितने इंजीनियरों और डाक्टरों की जरूरत होगी जिससे कि तदनुसार संस्थाएं स्थापित की जा सकें। उन्होंने कालेजों में सांस्कृतिक इतिहास शुरू करने के मुद्दे पर चर्चा की तथा इस बात पर पश्चाताप व्यक्त किया कि देश के कई भागों के शिक्षित लोग भी दूसरे राज्यों की संस्कृति से परिचित नहीं है। उन्होंने आग्रह किया कि अपनी समृद्ध एवं सामासिक संस्कृति को बनाए रखने के लिए पाठ्यचर्या में सांस्कृतिक इतिहास शामिल करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि गैर सरकारी एजेंसियों को साक्षरता प्रदान करने का कार्य सौंपा जाना चाहिए क्योंकि सरकार अपने सीमित संसाधनों से इस जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर सकती। अपने समय में भूमंडलीकरण संबंधी विनोबा भावे के दृष्टिकोण का भी उन्होंने उल्लेख किया जिसमें श्री भावे ने राष्ट्रीय सीमाओं को उत्तरोत्तर अप्रसांगिक होते देखा था उन्होंने यह जोड़ा कि समूचे विश्व पर विजय हासिल करनी है जिसके लिए शिक्षा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है।

8. कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री श्री मंजुनाथ ने कहा कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में व्यावसायिक शिक्षा के शुल्क ढांचे में ढेरों भ्रम मौजूद हैं। एक समान शुल्क ढांचे को लागू करने से संबंधित उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कालेज चलाना सरकार के लिए असंभव है इसलिए निजी क्षेत्र को समानांतर चलने की अनुमति देना बहुत ही आवश्यक है। संस्तुत शुल्क ढांचा इस प्रयोजनार्थ बिल्कुल भी अनुकूल नही है तथा इसकी गहराई से जांच करने की जरूरत है क्योंकि एक समान शुल्क ढांचा लागू होने की स्थिति में निजी क्षेत्र के लिए स्वयं को जिंदा रख पाना कठिन होगा तथा उन्होंने केंद्र से इस समस्या को हल करने के लिए एक विधान लाने का आग्रह किया।

8.2 प्राथमिक शिक्षा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक ने बहुत ही अच्छा किया है। पांचवी कक्षा तक पका हुआ भोजन दिया जाता है तथा लगभग 44 लाख छात्र इस योजना के तहत लाभांवित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ निःशुल्क चावल प्रदान करती है तथा बाकी सब चीजें राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने इस प्रयोजनार्थ केंद्र से अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का आग्रह किया क्योंकि वे दसवीं कक्षा तक पका हुआ भोजन देने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा कक्षा I–V तक सभी बच्चों को और बालिकाओं को कक्षा 10 तक निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें एवं पोशाक प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ढेर सारा पैसा प्राथमिक

शिक्षा पर खर्च किया है तथा उन्हें इन मदों को शामिल करने के लिए कुछ वित्तीय सहायता की जरूरत है। उन्होंने उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पूर्वोत्तर राज्यों के विश्वविद्यालयों की तुलना में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के विश्वविद्यालयों को कम वित्तीय सहायता दे रहा है। इसलिए उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि वे इन विश्वविद्यालयों के लिए अपनी वित्तीय सहायता बढ़ाने का निदेश यू.जी.सी. को दें। उन्होंने कहा कि परंपरागत रूप से कर्नाटक शैक्षिक दृष्टि से सुदृढ़ है क्योंकि पूर्व महाराजा ने शिक्षा विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की शिक्षा में काफी रूचि ली थी।

९. श्री जे.जे. इरानी, सदस्य ने कहा कि शिक्षा हमारी संपूर्ण प्रगति की धुरी है जिसे सिर्फ राजनीतिक समाधान पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम काफी लाभ की स्थिति में हैं क्योंकि भारतीय मस्तिष्क पूरे विश्व में कई अन्यों से अपने आपको श्रेष्ठ साबित कर चुका है जिसका दो उदाहरण ठोस प्रमाण हैं। उन्होंने जोड़ा कि हाल के दशक की दूसरी बड़ी उपलब्धि साफ्टवेयर के क्षेत्र में हमारी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यद्यपि भारतीय मस्तिष्क किसी से भी कम नही है फिर भी हमारी समस्या मस्तिष्क से ही संबंधित है जिसे सम्यक शिक्षा नीति अपनाकर बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में शिक्षा आम जन तक नहीं पहुँच पाई है तथा यह कि समूचा देश अपने भविष्य के लिए शिक्षा के महत्व को स्वीकार करता है जो इस बात से स्पष्ट है कि किसी ने भी शिक्षा उपकर लगाए जाने का विरोध नहीं किया। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा नहीं है कि सर्व शिक्षा अभियान सबके लिए शिक्षा का सुनिश्चय करने की दिशा में अमोघ है तथा कहा कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर अभी भी ऊँची है तथा यह कि पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले इन बच्चों में से अधिकांश अपने जीवन काल के बाकी समय में भी निरक्षर बने रहते हैं। उन्होंने कहा कि वह कुछ समुदायों में इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयासरत हैं, उदाहरणार्थ आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में मार्गदर्शी अध्ययन के माध यम से। टी.वी., पुराने कम्प्यूटरों तथा कम्प्यूटर चित्र एवं ध्वनि विज्ञान का प्रयोग करने वाली एक नई पद्धति से वे लोगों को यह पढ़ाने एवं समझाने में समर्थ हुए हैं कि क्या कुछ उनके आस–पास की दुनिया में घटित हो रहा है तथा उन्होंने कहा कि शिक्षा की ऐसी नवचारी पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि हमारे देश में मौजूद तरह–तरह के गैर सरकारी संगठनों की बड़ी संख्या का शिक्षा को जन–जन तक पहुँचाने के लिए तथा शिक्षा के समान प्रसार के लिए पूर्णतया उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने यह राय व्यक्त की कि उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि जैसे राज्य पूर्वोत्तर के राज्यों की तरह ही शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हैं तथा यह कि यदि देश को आगे बढ़ना है तो देश के सभी हिस्सों को साथ–साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने उल्लेख किया कि आम जन को शामिल करने के लिए हमें व्यापक पैमाने पर टी.वी. का उपयोग करना चाहिए तथा यह कि इस प्रयोजनार्थ परंपरागत स्कूल संभवतः आदर्श माध्यम नहीं होंगे। उन्होंने ऐसे गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी को सुकर बनाने के लिए एक नीति लागू करने हेतु सरकार से आग्रह किया जिसमें शिक्षा के प्रसार के लिए समर्पित निःस्वार्थ व्यक्तियों की वाहिनी हो। उन्होंने इस बात का सुनिश्चय करने के लिए भी हर संभव प्रयास करने का आग्रह किया कि लोग महात्मा गाँधी तथा उनके आदर्शों को न भूलें।

१०. केरल के शिक्षा मंत्री श्री नलकत सूपी ने कहा कि उनके राज्य ने शत प्रतिशत साक्षरता तो प्राप्त कर ली है लेकिन यह एक अलग किस्म की समस्या से जूझ रहा है। केरल ने हाल में दाखिले को अभिशासित करने तथा स्व–वित्तपोषित संस्थाओं के पुनर्गठन से संबंधित एक नया कानून अधिनियमित किया है तथा इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए गृहमंत्री से अनुरोध किया गया। उन्होंने इस मामले में सहायता करने के लिए माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध किया।

10.2 उन्होंने आग्रह किया कि सर्व शिक्षा अभियान के माडॅल पर माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए तथा इस प्रयोजनार्थ संस्थान स्थापित किए जाने चाहिए। विज्ञान एवं कम्प्यूटर प्रयोगशालाएं न होने से केरल के स्कूलों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है तथा उन्होंने ऐसी और अधिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने में सहायता के लिए सरकार से आग्रह किया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि मध्याह्न भोजन योजना का 12वीं कक्षा तक विस्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने जोड़ा कि खाद्यान्न की परिवहन लागत बहुत अधिक है तथा इस मुद्दे पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उनके स्कूलों में आईसीटी जैसे कार्यक्रम हैं लेकिन कम्प्यूटर के लिए उनके अनुरोध को नहीं माना गया है। अपने राज्य में आई.आई.टी. स्थापित करने संबंधी लंबित मुद्दे को हल करने के लिए भी उन्होंने केंद्र से अनुरोध किया।

11. सुश्री महाश्वेता देवी, सदस्य ने उल्लेख किया कि जनजातीय क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है तथा यह कि पाठ्यचर्या देशज आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक होनी चाहिए। जैसा कि आदिवासी सामान्यतया निर्धन हैं तथा उपलब्ध स्कूलों की संख्या बहुत कम होने के साथ–साथ उनकी शिक्षा पद्धति भी भिन्न–भिन्न है इसलिए काफी संख्या में बच्चे नामांकित नहीं होते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने कहा कि शिक्षण की देशज विधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने आदिवासियों को पिछड़ा कहे जाने पर आपत्ति व्यक्त की तथा इस बात पर जोर दिया कि आदिवासी बहुत ही सभ्य है क्योंकि वे न तो बहू जलाने जैसे असभ्य तरीके अपनाते हैं और न ही उनके यहाँ दहेज प्रथा है। उन्होंने समान पाठ्यचर्या वाली बुनिवादी शिक्षा लागू करने का सरकार से आग्रह किया। उन्होंने कथा वाचन के माध्यम से शिक्षा देने के महत्व पर बल दिया क्योंकि कहानी के माध यम से ढेरों सूचनाओं का शिक्षक एवं छात्रों के बीच आदान–प्रदान होता है तथा बच्चे इन कहानियों के माध्यम से अच्छी तरह से सीखने में सक्षम होते हैं।

12. उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री किरन पाल सिंह ने केब का गठन करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री को धन्यवाद दिया तथा इस बात का उल्लेख किया कि इससे जनता में सही संदेश गया है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा। अपने आपको संकट में महसूस कर रहा अल्पसंख्यक समुदाय अब संकट मुक्त महसूस कर रहा है तथा उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अब वे अपना सा महसूस कर रहे हैं। उर्दू के विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के बारे में उन्होंने कहा कि आजादी से पहले हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं को समान प्राथमिकता प्राप्त थी तथा हिदी के साथ उर्दू आम जन की भाषा थी। दुर्भाग्य से आज उर्दू भाषा अल्पसंख्यकों से जुड़ गई है जो कि उचित नहीं है। उन्होंने आग्रह किया कि उर्दू भाषा की स्थिति बहाल करने के लिए उपाय सुझाने हेतु केब में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए।

12.2 उन्होंने उल्लेख किया कि उनकी राज्य सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को उच्च प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार ने लोगों को इस वास्ते निदेश दिया है कि कोई भी बच्चा स्कूली शिक्षा की परिधि से बाहर न रह जाए। उन्होंने उल्लेख किया कि अल्पसंख्यक समुदाय खासकर इस समुदाय की महिलाओं में साक्षरता दर कम है तथा कहा कि बालिकाओं खासकर अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। 1/2 कि.मी. की दूरी के भीतर प्राथमिक स्कूल स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं तथा जहाँ भी आबादी 300 से कम है वहाँ उनके लिए शिक्षा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने जोड़ा कि लगभग 40000 शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा पका हुआ भोजन देने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए सभी स्कूलों में किचन बनाना आवश्यक है तथा उन्होंने केंद्र से ऐसे किचन बनाने के लिए प्रत्येक स्कूल को 1–2 लाख रू. का अनुदान देने का आग्रह किया।

12.3 उन्होंने कहा कि भेदभाव की भावना के उन्मूलन हेतु राज्य सरकार कक्षा 5 तक सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण कर रही है। ग्रामीण शिक्षकों की भर्ती करने संबंधी योजना को बहाल किया गया है। स्कूलों में उर्दू भाषा पढ़ाने के लिए दुभाषिया के साथ 3000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है ताकि आजादी से पहले वाला उर्दू का दर्जा बहाल हो सके।

12.4 उन्होंने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों ने बालिकाओं को कक्षा–12 तक शिक्षण शुल्क से मुक्त कर दिया है तथा हरेक ब्लाक में एक इंटर कालेज खोला जा रहा है। ऐसे ब्लाकों में बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने हेतु वित्तीय सहायता देकर निजी प्रबंधन को प्रोत्साहित किया जा रहा है जहाँ ऐसे स्कूल नहीं है। इसके अलावा राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए वित्तीय सहायता की एक योजना शुरू की है जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे की इंटरमीडिएट स्तर उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को 20000 रू. का अनुदान दिया जाता है जिसे उनके बैंक खाते में जमा किया जाता है ताकि वे आगे उच्च स्तर की पढ़ाई कर सकें। इसके अलावा सरकार ने उच्च शिक्षा में भी बालिकाओं को शुल्क से बरी कर रखा है।

12.5 उनका मानना था कि प्राइवेट और सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों की फीस में बहुत अंतर है और केंद्र को इसे सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि शिक्षा की योजना इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह रोजगार और स्व–रोजगार के लिए मार्ग खोले। उन्होंने कहा कि सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार ने कांतिकारी बदलाव किया है और केंद्र से अनुरोध किया कि राज्य को इन प्रयासों को जारी रखने हेतु उन्हें अधिक निधियाँ प्रदान की जाएं।

13. प्रो. पी.वी. इन्द्रेसन, सदस्य ने उल्लेख किया कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बहुत अच्छा है परंतु उसमें एक सूत्र और जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि हर कोई सुविधाहीन छात्रों के लिए चिंता व्यक्त करता है परंतु मेधावी छात्रों की बात कोई नहीं करता। इसके लिए उन्होंने ब्रिटेन में व्याकरण के स्कूलों के उन्मूलन के परिणामों के विश्लेषण को उद्धृत किया जिसके कारण सरकारी स्कूल प्रणाली में ह्रास आया क्योंकि सभी प्रभावशाली लोग अपने बच्चे निजी स्कूलों में भेजने लगे, परिणामतः सरकारी स्कूलों पर कोई दबाव नहीं रहा, जिस कारण इन स्कलों में शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई। उन्होंने कहा कि अब सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों का स्तर वैसा नहीं रहा जैसा कि तब था जब वे स्वयं छात्र थे। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि क्रियाविधि की खोज की जाए जिससे 9–11 वर्ष के आयु–वर्ग के मेधावी छात्रों को चुनकर उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जा सके। उन्हें लगा कि इसका एक माध्यम नवोदय विद्यालय हो सकता है, और कहा कि यदि इस तरह के 7,000 स्कूलों की स्थापना की जाए तो हम पूरे देश को शामिल कर सकते हैं और करीब 20 लाख ऐसे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं जो कि जनसंख्या के उच्चतम 10% को दर्शाएंगे। उन्होंने कहा कि इसका न केवल सामाजिक न्याय बल्कि देश के आर्थिक विकास पर भी गहरा असर पड़ेगा।

14. श्रीमती आशा कुमारी, उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री, हिमाचल प्रदेश ने कहा कि सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत साम्य, पहुँच, बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की दर में गिरावट और अनुतीर्ण न करने जैसी नीतियों का राज्य में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। तथापि, उन्होंने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन में राज्य को कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। उन्होंने केंद्र से अनुरोध किया कि वह राशि के जिलावार वितरण की बजाय नवाचारी क्रियाकलापों के लिए संपूर्ण सीमा में राज्य को राशि बांटे ताकि निधियों को आवश्यकता के आधार पर इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने इस बात पर भी विचार करने को कहा कि मानसिक और 40% से

कम अपंगता वाले शारीरिक तौर से विकलांग बच्चों की शिक्षा के व्यय को भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शामिल किया जाए। उन्होंने यह अनुरोध भी किया कि एक गृह आधारित कार्यक्रम के साथ ऐसे बच्चों को सहायता देने की उच्चतम सीमा को प्रति वर्ष प्रति बच्चा 1200 रू. से बढ़ाकर प्रति वर्ष प्रति बच्चा 10,000 रू. कर दिया जाए। उन्होंने यह अनुरोध भी किया कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक शिक्षकों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर दी जाए क्योंकि 5 शिक्षकों की न्यूनतम आवश्यकता है। उन्होंने केंद्र से यह अनुरोध भी किया कि छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन को बनाने और देने के लिए किचन शेड के निर्माण हेतु प्रति स्कूल 1 लाख रू. का अतिरिक्त बजट आवंटन किया जाए ताकि 1 सितम्बर, 2004 से गर्म पके हुए भोजन के प्रावधान से संबंधित आदेशों का क्रियान्वयन किया जा सके। इस पर अनुमानित व्यय करीब 130 करोड़ रू. होगा, जिसे अपने अपर्याप्त संसाधनों से पूरा करना राज्य के लिए संभव नहीं है और राज्य को उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन हेतु तैयार करने के लिए केंद्र को पूरा दायित्व अपने ऊपर लेने पर विचार करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के उचित कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने सोचा है कि वह अलग से प्रारंभिक शिक्षा विभाग की स्थापना करेगा। उन्होंने इस बात पर भी टिप्पणी की कि हाल ही में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इस बारे में निदेश दिए हैं कि बी.एड. का पाठ्यक्रम चलाने वाले कालेज राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए बगैर ही सीधे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को आवेदन दे सकते हैं उन्हें लगा कि आने वाले शिक्षकों को दी जाने वाली शिक्षा के स्तर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और केंद्र से अनुरोध किया कि इन निदेशों को वापस ले लिया जाए और पूर्ण अपेक्षा के रूप में राज्य सरकार के अनापत्ति प्रमाणपत्र को लेना अनिवार्य कर दिया जाए।

14.2 उन्होंने केंद्र से यह अनुरोध भी किया कि वर्ष 1995 से विश्वविद्यालय स्तर तक सभी बालिकाओं के लिए ट्यूशन फीस को माफ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति की जाए और राज्य में अधिक केंद्रीय विद्यालय खोलने का केंद्र से अनुरोध किया।

14.3 उन्होंने केंद्र से अनुरोध किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत शामिल किए गए कालेजों को दिए जाने वाले विकास अनुदान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बढ़ाए। उन्होंने इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाया कि कई सम–विश्वविद्यालय राज्य से आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए बगैर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति बगैर ही भारी संख्या में विस्तार काउंटर खोलकर छात्रों को डिप्लोमा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र को अनुरोध किया कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ऐसे सम–विश्वविद्यालयों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निदेश दें जो मार्गदर्शी सिद्धांतों का अतिक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने यह मांग की कि जम्मू व कश्मीर के अनुरूप ही राज्य को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य द्वारा आरंभ किए जाने वाले हाइड्रोइलैक्ट्रिक और अन्य परियोजनाओं के लिए राज्य को और अधिक प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अतः केंद्र सरकार को राज्य में और अधिक आई. टी.आई. खोलने चाहिए। उनके भाषण का पाठ संलग्न है। (संलग्नक–iv)

15. सुश्री तीस्ता सीतलवाड़, सदस्य ने पिछली सरकार द्वारा रखे गए अनिर्णीत विधेयक का मामला उठाया, जो अब ठंडे बस्ते में पड़ गया है। उन्होंने कहा कि सर्वसुलभ शिक्षा और प्रत्येक बच्चे के समतुल्य गुणवत्तापरक शिक्षा के अधिकार के संबंध में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि समिति यह जानना चाहेगी कि सरकार ने इस मामले पर क्या फैसला लिया है। क्या इस मामले पर बल निरंतरता पर होगा अथवा विधेयक में मूलभूत परिवर्तन पर विचार करने पर। उन्होंने कहा कि इसमें मूलभूत परिवर्तन करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए क्योंकि कई विशेष मामले इससे जुड़े हुए हैं।

15.2 उन्होंने पाठ्यक्रम की अंतर्वस्तु का मुद्दा भी उठाया और कहा कि पाठ्यक्रम में आरोपित विषबुझी बातें, संप्रदायीकरण का निवारण, इतिहास, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन आदि के मुद्दों ने बहुत सी उलझन पैदा कर रखी हैं। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वर्तमान और पहले की पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा की आवश्यकता है ताकि उनमें युक्तिसंगत इतिहास जिसमें आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास और राजनीतिक इतिहास को शामिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि इतिहास की किताबों में किसी एक समुदाय के कुछ नेताओं पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए जिस कारण दूसरों को नाराजगी हो। उन्होंने शिवाजी का उदाहरण उद्धृत किया जो समाज के कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे और आज उग्र हिंदुत्व के नेता के रूप में उन्हें पेश किया जा रहा है, ऐसे उदाहरण कक्षा में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्र पर प्रभाव डालेंगे। उन्होंने ऐसी किताबों का उल्लेख भी किया जिनमें अफजल खान को ऐसे बताया गया है जैसे वह पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करता हो और यह भी कहा कि इतिहास को देखने का खास दृष्टिकोण होना चाहिए और समाज की चुप्पी के कारण ऐसे बुद्धिभ्रंश भी आ गए हैं जिन्हें नजर–अंदाज नहीं किया जा सकता है।

15.3 उन्होंने कहा कि वर्ष 1986 की नीति में साझा स्कूल प्रणाली की आवश्यकता का प्रावधान है, मगर यह भी जोड़ा कि हमने नीतिगत भाषा में इस बात पर बात करना छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इस मसले को सुलझाने की आवश्यकता है क्योंकि इस कारण गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही संदर्भ में हमारे बच्चों के लिए दो भिन्न प्रकार की शिक्षाओं के मार्ग खुले हैं।

15.4 उन्होंने हिंदी और उर्दू भाषाओं के बीच सहयोग का भी उल्लेख किया और इसके लिए मुंशी प्रेमचंद का उदाहरण दिया जिनका पूरा लेखन असल में उर्दू में है जिन्हें बच्चे अपनी हिंदी पाठ्यपुस्तकों में पढ़ रहे हैं।

15.5 उन्होंने उल्लेख किया कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अपनी गैर–भागीदारी के लिए जहां अल्पसंख्यकों को स्वयं से प्रश्न करने होंगे वहीं इस संबंध में शेष भारत को भी स्वयं से सवाल करने होंगे। उन्होंने कहा कि विगत में विभिन्न समुदायों के बीच विद्यमान सहयोगात्मक भावना को पुनर्जीवित करना होगा।

15.6 उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आज के भारत के शिक्षक पर्याप्त रूप से अधिकार संपन्न नहीं है और इसके कारण शिक्षण का स्तर गिरता जा रहा है और केंद्र से अनुरोध किया कि इन पहलुओं पर प्राथमिकता से विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि इन दिनों हम केवल सूचना प्रौद्योगिकी की ही बात करते हैं और यह भी जोड़ा कि प्रौद्योगिकी के अन्य क्षेत्रों और अन्य विषयों जैसे जैव रसायन, जैव प्रौद्योगिकी आदि पर भी बराबर का जोर दिए जाने की आवश्यकता है।

15.7 उन्होंने प्रभावी मानीटरिंग पर बल दिया ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि जारी की गई राशि वस्तुतः तृणमूल स्तर तक पहुँचती है और बेकार नहीं जाती। उन्होंने बताया कि प्रभावी होने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को कार्यक्रम क्रियान्वयन, निधियों के पुनः आबंटन के बारे में जानना होगा और शिक्षा की नई नीति के गठन पर भी विचार करना होगा।

16. श्री हरनाम दास जोहर, शिक्षा मंत्री पंजाब ने स्कूलों में उर्दू, फ्रेंच, जर्मन और चीनी भाषाओं के शिक्षण की वकालत की और इस बात की आवश्यकता पर भी जोर दिया कि उर्दू, फारसी और अरबी भाषा के शिक्षण को जारी रखा जाए। उन्होंने स्कूली पाठ्यक्रम में योग और खेल–कूद को समाविष्ट किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने केंद्र और राज्य के मध्य सर्व शिक्षा शिक्षा अभियान की निधियों की शेयरिंग पैटर्न में दूट देने पर भी बल दिया क्योंकि पंजाब सीमावर्ती राज्य है। उन्होंने यह भी कहा कि

मध्याह्न भोजन प्रदान करने के कार्य ने शिक्षण में व्यवधान डाला है और शिक्षक पर अतिरिक्त भार डाला है। इसे सुधारने की जरूरत है और उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पंजाब ने इस गतिविधि में किस प्रकार अभिभावक–शिक्षक संघों को शामिल किया। उन्होंने उल्लेख किया कि पूर्ववर्ती सरकार ने निजी स्कूलों हेतु अनुदान में कमी कर दी थी और उन्हें परिषद को यह सूचना देते हुए खुशी हो रही है कि वर्तमान सरकार ने पंजाब में उसे पुनः बहाल कर दिया है। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों, दोनों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने में असमर्थता का कारण निधियों का अभाव बताया और केंद्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की माँग की। उन्होंने अनुसूचित जाति की बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहनों का प्रावधान करने का आग्रह किया और अपर्याप्त अवसंरचना वाले कुछ निजी स्कूलों और कॉलेजों के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए इस बात पर बल दिया कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड मान्यता प्रदान करते समय सख्ती से बर्ताव करे और राज्यों से परामर्श ले। ऐसे कुछ स्कूल शराब की दुकानों आदि जैसी बिल्कुल अनुपयुक्त जगहों पर स्थित होते हैं। उन्होंने राज्य स्कूल शिक्षा बोर्डों को अनुदान देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसा एक निकाय स्थापित करने की सलाह दी।

17. डॉ0 भालचंद्र मुंगेकर, सदस्य, शिक्षा, योजना आयोग ने कहा कि सर्वसुलभ साक्षरता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सुनिश्चय के लिए सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना दो महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं। उन्होंने नोट किया कि अधिसंख्य राज्यों ने इन दोनों योजनाओं के तहत निधियों में वृद्धि करने की इच्छा व्यक्त की है।

17.2 उन्होंने बताया कि मध्याह्न भोजन योजना को सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में मान्यता देते हुए योजना आयोग ने अपने स्वयं के निपटान पर रखी गई विशेष निधि में से 1232 करोड़ रू. की अतिरिक्त निधि इसके लिए उद्दिष्ट की है। उन्होंने राज्य सरकारों से निवेदन किया कि अनुदानों का आवंटन बढ़ाने मात्र से बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सुनिश्चय नहीं होगा और इसके लिए राज्य सरकारों द्वारा इन संसाधनों का अव–संरचनात्मक, मानीटरन प्रणाली जैसे विभिन्न घटकों के लिए उपयोग करने और यह सुनिश्चित करने, कि इस उपयोग में कोई खामी न हो, की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि प्रशासकों, गैर–सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों और संचार माध्यमों को और अधिक जिम्मेदारी सौंपना श्रेयस्कर होगा ताकि उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने इस बात पर भी जोर डाला कि भारतीय लोग उन्हें दिए जाने वाले श्रेय से कहीं अधिक बुद्धिमान हैं और अपने स्तर पर वे उपयुक्त निर्णय ले सकेंगे। इसलिए उन्होंने और अधिक सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता बताई। उन्होंने जोड़ा कि योजना आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त विचारों को नीतिगत मुद्दों के निर्धारण के समय निश्चित रूप से ध्यान में रखा जाय और वे योजना आयोग तथा सरकार के मध्य पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करेंगे।

18. श्री अरविंदर सिंह लवली, राज्य शिक्षा मंत्री, दिल्ली ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड एक ऐसा मंच है जहाँ सभी राज्य सरकारें और विशेषज्ञ स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करते हैं और उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठकें वार्षिक आधार पर निर्धारित की जानी चाहिएँ ताकि यह कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का मानीटरन कर सके। उन्होंने यह भी सलाह दी कि शिक्षा के विभिन्न मुद्दों पर उप–समितियाँ होनी चाहिएं ताकि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के निर्णयों को कार्यान्वित किया जा सके और इसकी आगामी बैठक में विशिष्ट सिफारिशें भी प्राप्त हों। उन्होंने विगत दस वर्षों के दौरान दिल्ली में शिक्षा क्षेत्र में हुए विकासों की एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की और उल्लेख किया कि उन्होंने प्रतिभा स्कूलों की स्थापना की जिन्होंने सरकारी स्कलों के आस–पास के प्रतिभावान बालकों के लिए गतिनिर्धारक स्कूलों के रूप में सेवा प्रदान की है। उन्होंने केंद्र से इस

योजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकार को सहायता देने का आग्रह किया जो उन छात्रों की सेवा होगी जिन्होंने दिल्ली नगर निगम/सरकारी स्कूलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि निजी स्कूल भी सभी बालकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं परंतु उनका भी समाज के प्रति कुछ उत्तरदायित्व है और तदनुसार उन्हें 25% नामांकन समाज के कमजोर वर्गों के बालकों को देने हेतु कहा गया/निर्देशित किया गया है।

18.2 उन्होंने बताया कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत पका हुआ भोजन प्रदान करना कठिन है क्योंकि दिल्ली में अनेक स्कूल पारियों में चल रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि दिल्ली की विशिष्ट जलवायु और जनसंख्या घनत्व को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय से दिल्ली के संदर्भ में अपने आदेशों की समीक्षा करने और दिल्ली के बालकों को प्रसंस्करित खाद्य प्रदान करते रहने की अनुमति के लिए अपील की जाए।

18.3 उन्होंने कहा कि जब से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस उद्देश्य हेतु अनुदान देने पर रोक लगाई थी तब से दिल्ली में कोई नए कॉलेज नहीं खोले गए। बढ़ती जनसंख्या और दिल्ली के बाहर से आने वाले छात्रों, दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में यह आवश्यक है कि और अधिक संस्थाएं खोली जाएँ। उन्होंने कहा कि यदि केवल दिल्ली सरकार के लिए नहीं तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानदण्डों में छूट देते हुए संस्थाओं की स्थापना पर विचार कर सकता है। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न भागों में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की इकाइयाँ स्थापित करने पर विचार करने का आग्रह किया।

18.4 उन्होंने टिप्पणी की कि मदरसों को छोड़कर, जो पिछड़ रहे थे, अल्पसंख्यक संस्थाएं छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रही हैं। उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के मदरसे बालकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें, ऐसे तरीकों की खोज करने का आग्रह किया जो उन्हें मुख्यधारा में शामिल होने में सक्षम बनाएगें और उनके लिए कैरियर का मार्ग प्रशस्त करेंगे। उन्होंने इस मामले में मुस्लिम समाज से आगे आने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जबकि अंग्रेजी भारत में बड़े पैमाने पर उपयोग में ली जा रही है, इसका भारतीय संविधान की सम्बद्ध अनुसूची में आधुनिक भारतीय भाषाओं में से एक के रूप में उल्लेख होना चाहिए।

18.5 उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के तहत मोबाइल वैनों के माध्यम से मोबाइल स्कूल खोलने हेतु अतिरिक्त प्रावधान बनाने का अनुरोध किया। ये स्कूल दिल्ली जैसे राज्यों के लिए अधिक उपयुक्त हैं जहां बड़ी संख्या में प्रवासी लोगों को शिक्षा प्रदान किये जाने की आवश्यकता है और जहां स्कूल खोलने के लिए कोई जमीन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु निश्चित स्तरों की प्राप्ति के लिए शिक्षक समुदाय पर मानकीय जिम्मेदारी डालने की आवश्यकता बताई। उन्होंने उल्लेख किया कि दिल्ली सरकार ने शिक्षकों को लम्बी अवधि के लिए संविदा आधार पर रखना बंद कर दिया है और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जब शिक्षकों को अच्छा वेतन दिया जा रहा है तो निश्चित उपलब्धि–स्तर प्रदान करने की अपेक्षा करना तर्कसंगत है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा राज्यों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने से छुटकारे के संबंध में जनवरी, 2004 में लिए गए निर्णय ने राज्यों में जन शक्ति–आयोजना पर दुष्प्रभाव डाला है और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड से यह संकल्प लेने का आग्रह किया कि राज्यों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने से छुटकारे से संबंधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्णय को बदला जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों की नियमित आधार पर समीक्षा करने का आग्रह किया ताकि अध्ययन को एक आनन्ददायक अनुभव बनाया जा सके। (उनके भाषण का पाठ संलग्नक–V में दिया गया है)।

19. श्री चार्ल्स कोरिया, सदस्य, ने टिप्पणी की कि जबकि विश्व के निरक्षरों में सर्वाधिक हमारे देश में हैं, बालकों को स्कूल भेजने के लिए जनसमुदाय को कोई प्रेरणा नहीं दी जाती जबकि वे बच्चों को घरेलू कार्यों अथवा खेती आदि में सहायकों के रूप में काम में लेते हैं। तथापि, उन्होंने कहा कि यदि उन्हें निःशुल्क भोजन दिया जाता तो उनमें बदलाव आता। इससे न केवल 6–11 आयु वर्ग के बालकों को पोषण मिलेगा अपितु उनके दृष्टिकोण में भी बदलाव आएगा। सामाजिक बदलाव लाने में बालिका शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के दूरगामी परिणाम होंगे क्योंकि एक साक्षर बालिका का मतलब है एक साक्षर माँ, जिसके पास अपने बच्चों को शिक्षित करने का ज्ञान होता है। उन्होंने देश की शिक्षा में युद्ध स्तर पर आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता बताई। उन्होंने विचार रखा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में आरक्षण जातिगत आधार पर नहीं बल्कि इस तथ्य के आधार पर दिया जाना चाहिए कि क्या बालक ने नगर निगम के स्कूल में पढ़ाई की है और उन्होंने महसूस किया कि इससे विशेषाधिकार प्राप्त बालक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश पाने की आशा में नगर–निगम के स्कूलों की ओर आकर्षित होंगे। इससे नगर निगम के स्कूलों के प्रति हमारे दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होगा और यह उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितनी भोजन के लिए हरित क्रांति महत्वपूर्ण थी। उनके अनुसार इससे साझा स्कूल प्रणाली को प्रोत्साहन मिलेगा।

20. श्री कपिल सिब्बल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कहा कि वे तीन मुद्दे उठाएँगेः (।) पहुँच अथवा फैलाव (।।) विषय वस्तु (क्या पढ़ाया जाना है); और (।।।) साधन (कैसे पढ़ाया जाना है अथवा माध्यमों का चुनाव)। पहुँच के संबंध में उन्होंने उल्लेख किया कि प्रत्येक शिक्षा नीति ने शत–प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य रखा और उन्होंने नाराजगी व्यक्त की कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 54 वर्ष बाद भी हम केवल 64% साक्षरता प्राप्त कर पाए हैं और इस प्रकार हमें स्वीकार करना होगा कि हम असफल हुए हैं। विषय–वस्तु, कि हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं, के मुद्दे पर उन्होंने महसूस किया कि यह हमारे संवैधानिक ढाँचे और हमारे देश और उद्योग की जरूरतों के समनुरूप होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सूक्ष्म स्तर की नीतियाँ बनाने हेतु उप–समितियों का गठन किया जाए क्योंकि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड इस हेतु प्रयास करने के लिए अधिक बड़ा निकाय है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को बड़े मुद्दों पर कार्य करना चाहिए और सूक्ष्म स्तर के मुद्दों को हाथ में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि शिक्षा नीति में दूरदर्शिता का अभाव है जिसको देश की 20–25 वर्ष बाद की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु निर्धारित किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रौद्योगिकी में आए उन बड़े परिवर्तनों की बात की जो आने वाले वर्षों में और भी बदलाव लएँगे और उन्होंने कहा कि शिक्षा की सुगमता को बढ़ाने की दिशा में अद्यतन प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान की गई अपार संभावनाओं का शिक्षा क्षेत्र में उपयोग करना होगा।

20.2 उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान व्यय का 99 प्रतिशत शिक्षकों के वेतन पर खर्च हो रहा है और मुश्किल से प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों के लिए कुछ बच रहा है और यह सुझाव दिया गया कि टी.वी., कम्प्यूटर, दूरस्थ शिक्षा जैसे शिक्षा के वैकल्पिक साधनों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। अन्य शब्दों में उन्होंने महसूस किया कि या तो वर्तमान साधन को सक्षम बनाया जाना चाहिए जो कि कठिन होगा और यदि यह पाया जाता है कि वर्तमान साधन अक्षम है तो आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इसे बदला जाना चाहिए।

20.3 उन्होंने बल दिया कि राज्य को प्रारंभिक शिक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी लेनी चाहिए परन्तु यह भी कहा कि इस उत्तरदायित्व में धीरे–धीरे कमी करनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि उच्च शिक्षा को सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु उद्योग की आवश्यकताओं पर

विचार किया जाना चाहिए और आवश्यकताओं तथा आज की 20–25 वर्ष आगे की समायोजन क्षमता तथा बदलते विश्व परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध किया जाना चाहिए।

20.4 उन्होंने यह विचार भी व्यक्त किया कि शिक्षा प्रणाली को उन क्षेत्रों में कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जहां विदेशी देशों में नर्स, डाक्टर तथा इंजीनियरों की अधिक मांग की जा रही है। उन्होंने इस बात पर बल देते हुए निष्कर्ष निकाला कि सर्वाधिक आवश्यकता भविष्य में दूर दृष्टि के साथ सही तथा सुविचारित शिक्षा नीति हो।

21. डॉ0 आर. लालथंगलिआना, स्कूल शिक्षा मंत्री, मिजोरम कहा कि उनके राज्य का लक्ष्य 2005 तक 100 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने का है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध किया कि वह परियोजना के लिए अतिरिक्त निधियां संस्वीकृत करे जो इस संबंध में प्रस्तुत कर चुके हैं।

21.2 उन्होंने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन की पूर्वोत्तर में समस्या थी और अतः आग्रह किया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत 100 प्रतिशत वित्त पोषण की एक विशेष श्रेणी के रूप में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि असम सहित सभी पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा तैयार इस आशय का एक संकल्प वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग के साथ परामर्श करके केन्द्रीय मंत्री को सौंपा जाना चाहिए।

21.3 उन्होंने कहा कि विद्यालयों में पकेपकाए भोजन की योजना में कुछ लचीलेपन की आवश्यकता है क्योंकि इस योजना को वर्तमान रूप में कार्यान्वित करना कठिन था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भारतीय क्षाद्य निगम के गोदाम से विद्यालयों तक पहुंचाने में यातायात खर्च वहन करने में असमर्थ है और आग्रह किया कि केन्द्र को इस खर्च को वहन करना चाहिए। इस योजना में प्रति बच्चा एक रू. सत्तर पैसे की लागत आएगी और प्रति वर्ष 4.92 करोड़ रू. की राशि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है तो इस योजना को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा।

21.4 उन्होंने उल्लेख किया कि मिजोरम के एक जिले ने इस वर्ष के मई में 6–14 वर्ष के आयु वर्ग में बच्चों का 100 प्रतिशत नामांकन को प्राप्त कर लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में केवल 7000 बच्चे स्कूल से बाहर है और यह भी कहा कि वे 2004 के अंत से पहले 100 प्रतिशत नामांकन प्राप्त करने के लिए आशावान है। उन्होंने केन्द्र से आग्रह किया कि वह शिक्षित युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी को रोकने के लिए माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करे। उन्होंने कहा कि वित्तीय कठिनाईयों के कारण राज्य सरकार विद्यालय में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन योजना को कार्यान्वित करने में असमर्थ है और इस योजना के तहत 100 प्रतिशत अनुदान देने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध किया।

21.5 उन्होंने आगे यह भी कहा कि मिजोरम में हाल ही में स्थापित विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार तथा वित्त अधिकारी के पद भारत सरकार से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाते हैं। अब उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, नए पदाधिकारी नहीं है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों में से एक रजिस्ट्रार का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किए हुए जबकि एक लेक्चरर वित्त अधिकारी का कार्यभार ग्रहण किए हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप एक अनपयुक्त स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से आग्रह

करते हुए निष्कर्ष निकाला कि अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में तुरन्त कार्रवाई करे। इस भाषण का पाठ्य संलग्नक–VI में दिया गया है।

22. श्री जावेद अख्तर, सदस्य ने उल्लेख किया कि सर्व शिक्षा अभियान संबंधी आंकड़े यह दर्शाते हैं कि 90 प्रतिशत विद्यालय खोले जा चुके हैं जबकि केवल 34 प्रतिशत शिक्षक ही नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने शिक्षण कार्य के लिए क्रम से शिक्षकों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 2003–04 के दौरान 8300 करोड़ रु. के आवंटन में से सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्यों द्वारा केवल लगभग 3600 करोड़ रु. उपयोग किया गया है और दूसरी तरफ राज्य दर राज्य अधिक धन की मांग कर रहा है। उन्होंने इस विरोधाभास स्थिति पर प्रश्न किया जिससे राज्य सरकारों के पास अधिक निधियां होने के बावजूद उनका उपयोग करने में असमर्थ है। उन्होंने चिन्ता व्यक्त की कि शैक्षिक रूप से पिछड़े 10 राज्यों ने कुल अनुमोदित आवंटन का केवल 30 प्रतिशत ही प्राप्त किया क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर राज्य अपना हिस्सा देने में कठिनाई महससू कर रहे थे। उन्होंने महससू किया कि यदि केन्द्र सरकार द्वारा अधिक निधियां दी जाती है तो राज्य अपना एक बड़ा हिस्सा देने में और अधिक कठिनाई महसूस करेंगे और बड़े हुए आवंटन का उपयोग करने में समर्थ नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को तत्काल हल करने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रतिकूल शिक्षक–छात्र अनुपात के संबंध में चिन्ता व्यक्त की जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या सर्व शिक्षा अभियान गरीब व्यक्तियों को मामूली शिक्षा तो प्रदान कर रहा है।

22.2 श्री अख्तर ने देखा कि हमारी शिक्षा प्रणाली छात्रों की वैयक्तिता की दम घोंटने वाली है और उन्होंने बच्चा किस राज्य का है इस बात का लिहाज किए बिना प्रत्येक स्कूली बच्चे का एक उदाहरण दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली में छात्रों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए पर बल दिया और चिन्ता व्यक्त की कि सम्पूर्ण प्रणाली शिक्षण अध्ययन तथा जांच की प्रक्रिया बनती जा रही है जो कम्प्यूटर प्रक्रिया की तरह है जहां पर छात्रों को फ्लापी डिस्क की तरह समझा जाता है। उन्होंने तीव्र महससू किया कि यह मियादी शिक्षा नहीं हो सकती है। श्री अख्तर ने राय व्यक्त की कि शिक्षा दिमाग को पुष्प, स्वप्न के प्रति स्वतंत्र बनाना और स्वयं की खोज करना, निर्भीक होकर ज्ञान की खोजन करना और वास्तविक जगत में आ रही नई चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्म विश्वास पैदा करना आदि बातें सीखने के संबंध में है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विशेषज्ञ शिक्षा में इस पहलू को शामिल करने के लिए शिक्षा नीति में आवश्यक परिवर्तन करेंगे परन्तु यह भी कहा कि न तो कोई स्कूल जहां पर सभी बच्चे वही तस्वीर खींचते हैं न कोई विश्वविद्यालय आंकड़े एकत्रित करने के लिए फ्लापी डिक्स की तरह उनसे व्यवहार करने जैसी छात्रों को सूचना देते हैं, कोई वास्तविक उपलब्धि दर्शाने की अपेक्षा की जा सकती है।

23. श्री कांति बिश्वास, प्रभारी मंत्री, प्राथमिक, माध्यमिक तथा मदरसा शिक्षा, पश्चिम बंगाल ने बताया कि संविधान में 86वाँ संशोधन केन्द्र सरकार को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व से मुक्त करता है और इस जिम्मेदारी को राज्य सरकारों पर डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह एक वांछनीय स्थिति नहीं है और यह महसूस किया कि राज्य सरकारों के साथ–साथ केन्द्र सरकार को शामिल करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए। उन्होंने मॉडल विश्वविद्यालय विधेयक वापिस लेने की भी मांग की क्योंकि विधेयक इस बात का संकेत करता है कि विश्वविद्यालयों का अभिशासन निरंकुश हो जाएगा, राज्य सरकारों के अधिकार कम हो जाएगें जिससे उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा।

23.2 उन्होंने कहा कि मानव संसाधन विकास सूचकांक भारत पर हाल ही की रिपोर्ट को 76वीं संख्या पर रखा गया है इस रैंक को 94 विकासशील देशों में से प्राप्त किया है जो दयनीय है और शिक्षा के लिए बजट बढ़ाने हेतु केन्द्र से अनुरोध किया है। उन्होंने नोट किया कि जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में बजट के कुल परिव्यय का 7.9 प्रतिशत की राशि शिक्षा के लिए आवंटित की गई थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में यह राशि कुल परिव्यय का केवल 2.9 प्रतिशत हो गई है। वर्तमान सरकार द्वारा शिक्षा के लिए बजटीय आवंटन के प्रतिशत में बढ़ोतरी केवल लगभग 0.1 प्रतिशत है। उन्होंने इसकी जांच करने और एन.सी.एम.पी. में यथा उल्लिखित शिक्षा को और अधिक निधियां आवंटित करने के लिए प्रयास करने के लिए सरकार से आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में एक साझा स्कूल प्रणाली होनी चाहिए ताकि बच्चों को दी जा रही शिक्षा के स्तर में समानता हो सके। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षक समुदाय सामान्यतः उत्तरदायी है परन्तु आधारभूत सुविधाओं तथा स्वायत्तता के अभाव में वे अपनी पूर्ण क्षमता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में असमर्थ रहते हैं। उन्होंने कहा कि जबकि यह सच है कि बजट का 98 प्रतिशत शिक्षकों के बजट पर खर्च हो रहा है, इस बात को भी नोट किया जाए कि यह शिक्षकों को दिए जा रहे उच्च वेतनमान के कारण नहीं है बल्कि शिक्षा के लिए बजट में कम आवंटन के कारण है। उन्होंने केन्द्र से आग्रह किया कि शिक्षा के लिए बजटीय आवंटनों में वृद्धि करना अत्यंत आवश्यक है और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड से आग्रह किया कि वह इस आशय का संकल्प करे ताकि लोगों की अपेक्षाओं को पूरा कर सके।

24. डॉ0 संदीप पांडे, सदस्य ने उल्लेख किया कि शिक्षा में हमने कुछ प्रेरणा दी है और समग्र रूप से छात्रों को रोजगार के लिए तैयार किया जाता है, तथापि जो सभी को नहीं दिया जा सकता है। उनके अनुसार, केवल 5 प्रतिशत रोजगार को प्राप्त करते हैं परन्तु शेष 95 प्रतिशत बच्चे असहाय और कुंठित हो जाते हैं। अतः शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को ऐसी शिक्षा से सज्जित करना चाहिए ताकि वे स्व–रोजगार के लिए तैयार हो सके। उन्होंने इस अदभुत घटना का भी उल्लेख किया कि बेरोजगार के रूप में केवल शिक्षित युवाओं को बताया जबकि एक निरक्षर युवा जो कि भूखा रहता है या कुपोषित है और संघर्ष करता है, उनको स्व–बेरोजगार भी नहीं कहा जा सकता है।

24.2 श्री पांडे ने महससू किया कि हालांकि शिक्षा का उद्देश्य अच्छे व्यक्तियों का समाज तैयार करना है जो अपने साथियों के दुखों के प्रति संवेदनाशील हो। वास्तव में शिक्षा आज स्व–केन्द्रित व्यक्तियों का सृजन कर रही है जो दूसरे व्यक्तियों के दुखों तथा भावनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है और उन्होंने टिप्पणी की कि इसको शिक्षा का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता हैं अतः उन्होंने कहा कि यह बहुत चिन्ता का विषय है कि शिक्षा स्व–निर्भरता से बेरोजगारी, संवेदनशीलता से गैर–संवेदनशीलता की ओर ले जा रही है और कहा कि इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है।

24.3 श्री पांडे ने शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार का भी उल्लेख किया इसे कागजों पर ठीक करना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जमीनी हकीकत को बदलना है और इसके लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का समुचित रूप से मानीटरिंग करना है। उन्होंने महसूस किया कि ऐसा न होने पर सभी विकास संबंधी दावे कागजों पर ही रहेंगे।

24.4 श्री पांडे द्वारा उल्लिखित दूसरा चिन्ताजनक पहलू वास्तविक शिक्षा में घटती रूचि से संबंधित है और उन्होंने समुदाय द्वारा नकल करने की प्रथा की स्वीकृति की प्रवृत्ति को उद्धरण किया। उन्होंने वाराणसी के गांधी विद्या संस्थान के संबंध में स्थिति को भी उठाया और इस संगठन की समीक्षा करने के लिए तुरन्त कार्रवाइ करने का अनुरोध किया।

25. श्रीमती एन. राज्यलक्ष्मी, शिक्षा मंत्री, आंध्र प्रदेश ने शिक्षा उप कर लगाने की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि किचन शेडों का निर्माण तथा विद्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित की जानी चाहिए। उन्होंने सभी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने पर बल दिया और यह बताया कि आन्ध्र प्रदेश के 90 प्रतिशत विद्यलायों में 1.2 लाख क्लास रुम, किचन शेडों की आवश्यकता होगी जिसका खर्च लगभग 1000 करोड़ रु. होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार को विद्यालय संबंधी आधारभूत सुविधाओं के लिए एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना तैयार करनी चाहिए। जबकि उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की सराहना की और उन्होंने महसूस किया कि उन जिलों की आवश्यकता को कार्यक्रम में समुचित रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। उन्होंने आवासीय सेतु पाठ्यक्रमों के लिए 5000 रु. प्रति बच्चो के हिसाब से आवंटन में वृद्धि करने का बल दिया। उन्होंने कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं का अधिक उपयोग करने पर बल दिया।

26. प्रो0 जोया हसन, सदस्य ने पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्यचर्या में सही तथ्यों के समावेश करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्री को बधाई दी और आग्रह किया कि ज्योतिष संबंधी पाठ्यक्रमों के लिए वित्त पोषण को वापिस लिया जाना चाहिए।

26.2 उन्होंने उच्च शिक्षा में मांग तथा आपूर्ति बीच अधिक अन्तर का भी उल्लेख किया और इस आधार पर कि उच्च शिक्षा के निजी वित्त पोषण हेतु आवश्यकता के सिद्धान्त का ध्यान भी रखा कि इस प्रकार का व्यापक निवेश निजी वित्त पोषण द्वारा वहन नहीं किया जा सकता है। उसने तर्क दिया कि पश्चिमी देश जो शिक्षा हेतु निजी वित्त पोषण की वकालत करते हैं, ने भी केवल सार्वजनिक वित्त पोषण के माध्यम से उच्च शिक्षा में उच्च स्तरों को प्राप्त किया। इसके अलावा उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा में निजी वित्त पोषण की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा हेतु सार्वजनिक वित्त पोषण अन–उपलब्धता के तर्क का प्रत्युत्तर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि प्रारंभिक शिक्षा के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए देश को उन अर्हता प्राप्त शिक्षकों की आवश्यकता होगी जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके आएंगे। उन्होंने आग्रह किया कि उच्चतर शिक्षा को सार्वजनिक निधियन के उद्देश्यार्थ प्रारंभिक शिक्षा की तुलना में कम महत्व नहीं दिया जाना चाहिए और यह अनुमान व्यक्त किया कि उचतर शिक्षा का दृष्टिकोण और क्षेत्र तब और अधिक संकीर्ण हो जाएगा यदि इसके निजी तौर पर वित्त पोषण को अनुमति दी जाती है क्योंकि निजी क्षेत्र मूल विज्ञान विषयों तथा सामाजिक विज्ञान विषयों में निवेश नहीं करेगा बल्कि केवल उन क्षेत्रों में निवेश करेगा जो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने यह आशंका व्यक्त की यदि इसका निजी तौर पर वित्त पोषण किया जाता है तो उच्चतर शिक्षा उद्योग के वशीभूत हो जाएगी और अपने व्यापक महत्व को खो देगी।

26.3 उन्होंने पुनः भारतीय विश्वविद्यालयों के जनतांत्रिकरण प्रभावों की भी चर्चा की जहां सभी जातियों, वर्गों तथा धर्म के छात्र एक साथ अध्ययन करते हैं और यह आशंका व्यक्त की कि यह पहलू तब गौण हो जाएगा तब ऐसे अधिकाधिक विश्वविद्यालयों को उच्चतर शिक्षा की क्षमता में वृद्धि करने के लिए सार्वजनिक निधियन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। उन्होंने सावधान किया कि उच्चतर शिक्षा स्कूली शिक्षा के रास्ते पर चलने लगेगी जहां गरीब तथा सम्पन्न के बीच का भेद हानिकारक प्रभावों के साथ पहले से मौजूद है।

26.4 उन्होंने मध्यम तथा उच्चतर मध्यम वर्गों के छात्रों के अवर स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए विदेश जाने की घटना को भी जिक्र किया और यह आशंका जतायी की पश्चिमी देशों को सर्वोत्तम प्रतिभाओं पर एकाधिकार हो जाएगा साथ ही उनका ज्ञान और प्रतिभा से संबंधित समस्त कार्यों पर भी एकाधिकार

हो जाएगा। उन्होंने महसूस किया कि भारत भारतीय मूल के लोगों के उच्च स्तरीय कार्यों/उनकी उपलब्धियों की ही प्रशंसा करता रह जाएगा और यह विचार व्यक्त करते हुए कि प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्चतर शिक्षा दोनों को एक साथ आगे दिशा देनी होगी, उच्चतर शिक्षा के सार्वजनिक निधियन के उच्चतर स्तर का आग्रह किया।

27. डॉ0 शुरहोजेली, शिक्षा मंत्री, नागालैंड ने उल्लेख किया कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड नीति निर्धारित करने, योजना बनाने तथा राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए सर्वोच्च निकाय है और यह दलगत राजनीति से परे है। उन्होंने यह कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति को अपनी राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठना चाहिए और देश के भविष्य के लिए योजना तैयार करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। तथापि, नागालैंड वर्ष 2002–03 के दौरान इस योजना का लाभ नहीं उठा सका क्योंकि राज्य अपने शेयर का अंशदान करने में असफल रहा और इस प्रकार इसे कोई धनराशि नहीं दी गई। वर्ष 2003–04 के दौरान राज्य कुछ निधियां उपलब्ध कराने में समर्थ रहा और इस प्रकार उसे कुछ केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो सकी। उन्होंने केन्द्र से आग्रह किया कि एन.सी.एम.पी. में किए गए उल्लेख के अनुसार कम–से–कम नालागैंड जैसे पूर्वोत्तर के अपेक्षाकृत गरीब राज्यों के मामले में वित्त पोषण पद्धति की समीक्षा की जाए। उन्होंने यह कहा कि राज्य ने अपने कतिपय भागों को पिछड़े के रूप में श्रेणीबद्ध किया है और उन क्षेत्रों में अधिक निधियों के आबंटन के माध्यम से विकास की गति को तेज किया जा रहा है जिससे अन्य कार्यक्रम प्रभावित होते हैं। उन्होंने केन्द्र से आग्रह किया कि वह वित्त पोषण पद्धति को 75:25 से बदलकर 100 प्रतिशत करे ताकि राज्य साक्षरता स्तरों को बेहतर बनाने के इस अवसर का लाभ उठा सके। मध्याह्न भोजन योजना के बारे में उन्होंने बताया कि राज्य इस योजना को कार्यान्वित कर रहा है लेकिन उसे कतिपय व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रथम समस्या यह है कि केन्द्र द्वारा प्रति दिवस प्रति छात्र उपलब्ध कराई जाने वाली 100 ग्राम चावल की मात्रा अपर्याप्त है और यह छात्रों को स्कूलों में बनाए रखने तथा उपस्थिति को बेहतर बनाने में वृद्धि करने की दृष्टि से पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं है। उन्होंने केन्द्र सरकार से इस कार्यक्रम की समीक्षा करने और मानकों को बढ़ाने का आग्रह किया ताकि राज्य इस योजना के उद्देश्य जो नामांकन में वृद्धि करने, स्कूल में बनाए रखने तथा उपस्थिति में सुधार करने तथा बच्चों को पोषण प्रदान करने से संबंधित है, को पूरा करने में समर्थ हो सके।

27.2 उन्होंने आगे यह उल्लेख किया कि अन्य बड़ी समस्या अवसंरचना की है। उन्होंने कहा कि 1960 से अनेक स्कूल खोले गए हैं लेकिन इन स्कूलों में अवसंरचना सुविधाओं का अभाव हैं स्कूल भवनों जिनका निर्माण नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त होने के समय किया गया था, टूटने के कगार पर हैं। उन्होंने कक्षाओं के विस्तार तथा कुछ नए भवनों के निर्माणार्थ सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अधिक सहायता का अनुरोध किया।

28. सुश्री शुभा मुद्गल, सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि देश से विभिन्न परम्परागत कलाएं तथा संगीत तेजी से विलुप्त होती जा रही है। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि कलाएं तथा संगीत हमारी मिश्रित संस्कृति की प्रतिनिधि हैं और देश की एकता तथा साम्प्रदायिकता से लड़ने के लिए इनपर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

28.2 उन्होंने यह स्पष्ट किया कि हमारे युवा लोग परम्परागत कला तथा संगीत से भटक रहे हैं और दुख प्रकट किया कि जहां इनकी पढ़ाई विषयों के रूप में होनी चाहिए थी वहां अब इनकी पढ़ाई हमारे स्कूलों में भी नहीं हो रही है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि संगीत तथा चित्रकला को आजकल

स्कूलों/कालेजों में अप्रासंगिक विषयों के रूप में माना जा रहा है और इन्हें शौक के रूप में भूलकर ही मान्यता दी जाती है। उन्होंने यह कहते हुए सचेत किया कि ये कलाएं तेजी से विलुप्त होती जा रही है और यह कि यदि स्थिति में शीघ्र सुधार नहीं किया गया तो ये कलाएं अगले दशक तक देश में वास्तव में अपरिचित हो जाएंगी।

28.3 उन्होंने उल्लेख किया कि विषयों के रूप में कलाओं के पाठ्यक्रम की विषयवस्तु की समीक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कार्य पिछले 50 वर्षों के दौरान नहीं किया गया है और यह सुझाव दिया कि इन्हें विभिन्न क्षेत्रों की कलाओं से संबंधित विषयवस्तु को शामिल करके और अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए। कर्नाटक संगीत, हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत तथा अन्य प्रकार के क्षेत्रीय संगीतों की पढ़ाई पूरे भारत में होनी चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि परम्परागत कलाओं को जो भी थोड़ा–बहुत समर्थन मिल रहा है, वह भारत के बाहर से प्राप्त हो रहा है। उन्होंने इस तथ्य की ओर भी संकेत किया कि कुछ सांस्कृतिक संस्थाओं का नियंत्रण उन लोगों द्वारा किया जा रहा है जिन्होंने साम्प्रदायिक ताकतों को सहारा दिया है तथा इन संस्थाओं में साफ–सुथरी कार्य–प्रणाली की आवश्यकता जताई उन्होंने कलाओं को पुनजीर्वित करने के लिए शीघ्र तथा उपयुक्त कार्रवाई का आग्रह किया ताकि इन्हें देश से विलुप्त होने से अविलम्ब बचाया जा सके।

29. श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, शिक्षा मंत्री, उत्तरांचल ने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के गठन पर प्रसन्नता व्यक्त की और यह उल्लेख किया कि इस बोर्ड के गठन की मांग पहले भी की जा रही थी लेकिन तब सरकार ने इन अनुरोधों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने खुशी जताई कि उनके राज्य ने 72.28 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त कर ली है। उन्होंने बताया कि राज्य की मुख्य समस्याओं में से एक उच्च विद्यालयों तथा इंटरमीडियट विद्यालयों में शिक्षकों के अभाव का होना है और यह उल्लेख किया कि इस स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार ने लगभग 16,00 शिक्षकों की नियुक्ति की है। उन्होंने यह कहा कि राज्य का शिक्षा क्षेत्र बड़ा है और इसमें लगे कर्मचारियों का प्रतिशत राज्य के कुल कर्मचारियों का 50 प्रतिशत है। दूसरी समस्या 10.15 किलोमीटर दूर–दराज के क्षेत्र में स्थित स्कूलों के लिए शिक्षकों की है और इस मुद्दों पर ध्यान देने के लिए राज्य सरकार ने यह दायित्व पंचायतों को सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन के लिए बच्चों के माता–पिताओं को उत्तरदायी बना दिया है। उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना 11,504 स्कूलों में शुरू की गई है और 7,27,193 बच्चे इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने भारत सरकार से इस योजना को सफलतापूर्वक चलाने के लिए सहायता में 50 प्रतिशत वृद्धि करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से स्कूल तक खाद्यान्न ले जाने का परिवहन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने की दृष्टि से काफी अधिक होता है। इसी प्रकार गैस कनेक्शन के लिए स्वीकृति राशि भी अपर्याप्त है और यह महसूस किया कि इसे 900/–रू. से बढ़ाकर 1500/–रू. किया जाना चाहिए।

29.2 उन्होंने यह उल्लेख किया कि सरकार ने प्रथम कक्षा से ही अंग्रेजी शुरू कर दी है ताकि बच्चों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना की है और प्रस्ताव किया है कि इन स्कूलों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के प्रतिभावान बच्चों को प्रवेश दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें गुणवत्ता शिक्षा प्रदान की जा सके। राज्य के प्रत्येक जिले में क्रमशः ऐसे 1–2 स्कूलों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

29.3 उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूल बड़ी संख्या में है जिनके बारे में शोषण करने की शिकायतें प्राप्त हुई है। राज्य सरकार इन स्कूलों को एन.ओ.सी. की शर्तों के माध यम से नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि लोगों द्वारा अनेक स्कूल खोले गए हैं और इन्हें सरकारी नियंत्रण में लाए जाने की अपेक्षा की जाती है ताकि लोग समुचित लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने यह भी बताया कि इंटरमीडियट कालेजों के कुर्सी–मेज तथाभवनों की स्थिति खराब है तथा केन्द्र से अतिरिक्त सहायता का अनुरोध किया। उन्होंने पुस्तकालयों के लिए भी सहायता की मांग की और गढ़वाल मंडल में एक अन्य सैनिक स्कूल की स्थापना करने का अनुरोध किया।

30. श्री गोपाल गुरू, सदस्य ने विश्व की आर्थिक व्यवस्था तथा शिक्षा पर वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा की और नगर निगम के स्कूलों में शिक्षा की खराब गुणवत्ता पर पश्चाताप व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विगत में नगर निगम के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर अच्छा था लेकिन अब वह बात नहीं रही। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सामाजिक प्रासंगिकता को शिक्षा की गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए एक पैमाने के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और केवल अंग्रेजी में शिक्षा प्रदान किया जाना अधिक प्रतिभा सम्पन्न बनाए जाने का घोतक नहीं हो सकता।

30.2 उन्होंने यह भी उल्लेख किया मनुष्य को कई प्रकार की कुंठाओं का सामना करना पड़ सकता है और उनमें से एक कुंठा जिसके बारे में उन्होंने चिन्ता व्यक्त की वह है समाज के कुछ वर्गों पर थोपी गई सामाजिक कुंठा। इस परिप्रेक्ष्य में, उन्होंने उल्लेख किया कि यद्यपि सामाजिक एकीकरण के लिए एक उपाय स्वरूप मध्याह्न भोजन के बारे में बातें करना अच्छा है, उन्होंने ऐसे उदाहरण दिए जहां उच्च जातियों के छात्रों ने किसी दलित महिला द्वारा पकाए गए मध्याह्न भोजन को खाने से इनकार कर दिया अथवा किसी वाल्मीकि लड़की के कक्षा में प्रवेश करने पर अन्य छात्रों द्वारा फब्तियां कसकर तथा उसका मजाक उड़ाकर उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाया गया।

30.3 श्री गोपाल गुरू ने वैसी शिक्षा का विकास करने की मांग की जो समाज के सभी वर्गों की सामाजिक गरिमा सुनिश्चित कर सके तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करने की आवश्यकता पर बल दिया।

31. श्री के. लक्ष्मीनारायणन, शिक्षा मंत्री, पांडिचेरी ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में शिक्षा में अन्तर की चर्चा की और इस अंतर को समाप्त करने पर बल दिया। उन्होंने केन्द्र सरकार से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने तथा साक्षरता दर को बेहतर बनाने और अच्छे शिक्षक छात्र का अनुपात बनाए रखने के लिए और अधिक निधि प्रदान करने का अनुरोध किया और सुझाव दिया कि केन्द्र सरकार इसकी पूर्ति शिक्षा उपकर के माध्यम से सृजित निधियों से कर सकती है।

31.2 उन्होंने यह कहते हुए कि समस्या बहुत गंभीर है देशभर के व्यावसायिक कालेजों में प्रवेश नीति को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक विधान अधिनियमित किए जाने का आग्रह किया।

31.3 उन्होंने गरीब छात्रों को आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक वित्त निगम की स्थापना करने का विचार का स्वागत किया।

31.4 उन्होंने 12वीं कक्षा तक के छात्रों को जलपान उपलब्ध कराए जाने का उल्लेख किया और केन्द्र सरकार द्वारा पांडिचेरी के लिए अधिक केन्द्रीय सहायता की आशा व्यक्त की।

32. श्री विनोद रैना, सदस्य ने कहा कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का 1994 से गठन नहीं हुआ है और सरकार तबसे एक गैर–नीतिगत ढ़ांचे के अंतर्गत कार्य कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 जिसे 1992 में संशोधित किया गया था, की कमोबेश अनदेखी की गई है और जिला शिक्षा प्राथमिक कार्यक्रम एवं सर्व शिक्षा अभियान संबंधी योजनाओं ने नीति निरूपण की जगह ले ली है और सरकार एक उपयुक्त नीति निरूपित करने के बजाए सांकेतिक रूप से इन योजनाओं के मानदंडों तथा निर्धारणों के तहत ही कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह कहा कि ई.जी.एस. केन्द्रों की संख्या में वृद्धि हो गई है और चूंकि इनका उन्नयन नहीं किया जा रहा है इसलिए उनका मुख्यधारा वाली स्कूल प्रणाली के साथ संकेन्द्रण असंभव साबित हो जाएगा। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या यह मान लिया जाना चाहिए कि ई.जी.एस. प्रकार की अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाली शिक्षा देश के अधिकांश बच्चों के लिए पर्याप्त होगी जबकि कुछ मुट्ठी भर साधन सम्पन्न बच्चों को अच्छे निजी स्कूलों में शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने उल्लेख किया कि इस प्रकार की स्थिति में सामान्य स्कूल प्रणाली को कार्यान्वित करना असंभव हो जाएगा। उन्होंने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि एक राज्य के बाद दूसरा राज्य बिना किसी विस्तृत नीतिगत ढ़ांचे के स्कूलों में नियमित शिक्षकों के स्थान पर संविदा शिक्षकों को रख रहा है। अतः योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन के लिए नीति–निरूपित करना अपेक्षित है, क्योंकि अन्यथा इन योजनाओं के लिए नीतियों की मांग अपेक्षित हो जाएगी जो इन योजनाओं को वैध तथा न्यायोचित बनाएगा।

32.2 86वें संविधान संशोधन का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि संशोधन में त्रुटि रह गई है, क्योंकि इसने राज्य को उत्तरदायित्व से अलग कर दिया और स्कूलों में बच्चों को भेजने की दृष्टि से राज्यों के बजाए माता–पिता को बाध्य कर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि सरकार को संविधान के अनुच्छेद 45, जिसके अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य की जिम्मेदारी है, के भावों के अनुरूप 86वें संविधान संशोधन को आशोधित करना चाहिए।

32.3 उन्होंने आगे यह जानना चाहा कि क्या हमें केवल 100 प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य प्राप्त करके ही संतुष्ट हो जाना चाहिए जबकि स्कूल छोड़ने वालों की संख्या अभी भी अधिक बनी हुई है। उन्होंने उस अध्ययन का हवाला दिया जिसके अनुसार केवल लगभग 20 प्रतिशत बच्चों ने ही गणित तथा भाषा विषयों में न्यूनतम स्तर की शिक्षा प्राप्त की है। इसका आशाय है कि 80 प्रतिशत ऐसे बच्चों पर व्यर्थ ही धनराशि खर्च की जा रही है जो स्कूल तो जा रहे हैं परन्तु वे न्यूनतम स्तर तक पहुंचने में असमर्थ हैं और ऐसी स्थिति में जब सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाने वाला है, जिसमें से आधी राशि प्रारंभिक शिक्षा पर खर्च की जाएगी, इसका स्पष्ट आशय है कि अधिक निवेश तथा अधिक नुकसान। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि स्कूली शिक्षा में लक्षित समूहों हेतु प्रासंगिकता होनी चाहिए ताकि बच्चों में शिक्षा के प्रति तथा संपूर्ण स्कूली शिक्षा चक्र में बने रहने के प्रति अभिरूचि पैदा की जा सके।

32.4 उन्होंने गौर किया कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और सर्व शिक्षा अभियान जैसी स्कीमों को मुश्किल से विकेन्द्रीकृत सहभागिता आधारित स्कीम कहा जा सकता है क्योंकि व्यवहारिक रूप से ये स्कीमें मानदंड एवं मूल्यांकन आधारित हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मौजूदा जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए और अधिक उदारता बरती जाए।

33. सुश्री शांता सिन्हा, सदस्य, ने ''स्कूल न जाने वाले बच्चों'' और कामकाजी बच्चों की शिक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने यह महसूस किया कि श्रम तथा शिक्षा विभागों को साथ मिलकर प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण तथा बाल मजदूरी को समाप्त करने हेतु कार्य करना चाहिए क्योंकि ये दोनों बातें

एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि माता–पिता की ओर से शिक्षा की अत्यधिक मांग है और महसूस किया कि बाल मजदूरी की समस्या को दूर करने के लिए इस तथ्य का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने बाल मजदूरी समाप्त करने के निमित्त कई उपाय सुझाए जैसे (i) बच्चों को काम करने से रोकने के लिए कोई सामाजिक मानदंड तैयार किया जाए; (ii) बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए सभी को एक–जुट होकर काम करना चाहिए, न कि केवल नियोजक; (iii) इस उद्देश्यार्थ आर्थिक प्रोत्साहन न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय; (iv) ज्यादा उम्र के बच्चों को परिवर्ती व्यवस्थाओं के जरिए नियमित विद्यालयों में जाने के लिए तैयार करना चाहिए; और (v) विद्यालय अभिशासन संबंधी मुद्दे प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने एक ऐसी नीति की आवश्यकता की ओर इशारा किया कि जैसा कि आन्ध्र प्रदेश में प्रचलन है, बच्चों को मध्यावधि प्रवेश की भी अनुमति दी जाए। उन्होंने महसूस किया कि बाल मजदूरी समाप्त करने संबंधी कार्यों में लगे देश भर के युवा स्वयं सेवियों तथा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बाल मजदूरी को समाप्त करना बिल्कुल संभव है क्योंकि गरीब माता–पिताओं की ओर से शिक्षा की भारी मांग है। यहां तक कि नियोजक भी बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। वह इस बात पर सहमत थीं कि बाल मजदूरी हेतु गरीब माता–पिताओं की अपेक्षा यह समाज अधिक जिम्मेदार है क्योंकि कामकाजी बच्चों को देखकर यह समाज सदमा अथवा घोर अपमान महसूस नहीं करता है।

33.2 उन्होंने सुझाव दिया कि निम्नलिखित उपायों से बाल मजदूरी को समाप्त किया जा सकता हैः

(i) बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार के पक्ष में सामुदायिक संघटन (नियोजकों सहित);

(ii) काम छोड़ने वाले ज्यादा उम्र के बच्चों को सेतु पाठ्यक्रमों और एक वर्ष तक अंतरिम व्यवस्थाएं करके तैयार करना, जब तक वे नियमित विद्यालय जाने के काबिल न हो जाएं;

(iii) विद्यालय और अधिक सहायक बनकर तथा यह केवल शिक्षा सत्र के प्रारंभ में ही बच्चों को प्रवेश न देकर वर्ष भर उन्हें प्रवेश देकर प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थियों के संघर्ष और उनके माता–पिताओं के प्रति संवेदनशील हैं; और

(iv) युवा कार्यकर्ताओं तथा शिक्षा स्वयंसेवकों को एक पहचान प्रदान करते हुए उनका सहयोग लेना।

33.3 उन्होंने इस बात पर पुनः बल दिया कि बाल मजदूरी समाप्त करने हेतु आर्थिक प्रोत्साहन न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय।

34. प्रो0 जे.एस. ग्रेवाल, सदस्य, ने उल्लेख किया कि यद्यपि शिक्षा के किसी भी विशिष्ट पहलू पर बोलने की उन्हें विशेषज्ञता हासिल नहीं है परंतु उन्हें उच्चतर शिक्षा के संबंध में कुछ अनुभव एवं रूचि है। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में उनको जो कुछ भी कहना है उसे वह एक संक्षिप्त नोट के रूप में शामिल करेंगे (संलग्नक– vii)।

35. प्रो0 अनिल सद्गोपाल, सदस्य, ने शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय संविधान और संसद की श्रेष्ठता पुनः बहाल करने की अपील की। श्री विनोद रैना के भाषण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संसद द्वारा अनुमोदित किसी नीति को अपास्त करना संसद को अपास्त करने के बराबर ही है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा विधेयक मसौदे ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो संसद द्वारा अनुमोदित एक स्कीम है, के मानदंडों को कमजोर बनाया है और उन्होंने महसूस किया कि शिक्षकों की संख्या, विद्यालय हेतु अपेक्षित कमरों की संख्या आदि संबंधी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के मानदंडों को निष्प्रभावी बनाने हेतु संसद की

मंजूरी अपेक्षित थी। उन्होंने तर्क दिया कि 90 के दशक में शिक्षा प्रणाली में असमानता लाने के लिए स्कीम दर स्कीम तैयार की गई। ये विकृतियां सर्व शिक्षा अभियान स्कीम में देखी गई जिससे इस नीति का उल्लंघन हुआ। सभी के लिए शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, जिसे कुछ धनराशि प्राप्त करने की उम्मीद में तथा कथित विश्व समुदाय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, में भी ये बेअसरकारी तथ्य तथा विसंगतियां शामिल थीं।वर्ष 2003 में तैयार किए गए सभी के लिए शिक्षा संबंधी दस्तावेज में शायद ही भारतीय संविधान का उल्लेख किया गया था और उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान के उद्देश्यों, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों और संविधान के भाग–।।। के तहत विविध अनुच्छेदों को कैसे संवर्धित किया जा सकता है जबकि अपनाई गई नीति का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अलग–अलग शिक्षा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि 86 वाँ संविधान संशोधन कुछ भी नहीं है बल्कि यह एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था पर थोपे गए संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों की अपेक्षाओं को पूरा करेगा। उन्होंने इस विधेयक के साथ संलग्न वित्तीय ज्ञापन का भी उल्लेख किया जिसमें यह निर्धारित किया गया है इस स्कीम को प्रति वर्ष 9800 करोड़ रू. की राशि प्रदान करके लागू किया जाएगा जो तापस मजूमदार समिति के आकलन से 30 प्रतिशत कम है, और उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। योजना आयोग द्वारा किया गया वास्तविक आबंटन इससे भी कम है।

35.2 प्रो0 सद्गोपाल ने यह भी कहा कि 90 का दशक बाह्य सहायता प्राप्त करने वाला था जो थाईलैंड में जॉमटीन सम्मेलन के साथ प्रारंभ हुआ जिसमें नीतियों को कमजोर करने की प्रक्रिया शुरू हुई। अम्बानी–बिड़ला रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उच्चतर शिक्षा के बारे में राज्यों की प्रतिबद्धता कम करने संबंधी सिद्धांत स्वीकार्य नहीं है और आगे कहा कि दूसरा सिद्धांत, जिसमें यह उल्लेख है कि बाजार मूल्य वाले ज्ञान की शाखाओं हेतु राज्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है, इस अर्थ में अत्यंत घातक है कि ऐसी स्थिति में विज्ञान तथा समाज विज्ञान में किस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है यह बाजार ही निर्धारित करेगा। उन्होंने कहा कि ये सभी काफी गंभीर मुद्दे हैं और आग्रह किया कि इस पर हस्ताक्षर करने से पहले भारत को अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए और गैट द्वारा विचार किए जाने वाले सभी मुद्दों को इन पर कोई अंतिम निर्णय लेने के पूर्व न केवल भारतीय संसद के समक्ष बल्कि विभिन्न राज्य सरकारों के विधान सभाओं में भी रखा जाना चाहिए।

36. प्रो0 हबीब तनवीर, सदस्य ने इस बात पर अफसोस जताया कि बड़ी–बड़ी रिपोर्टों तथा बैठकों के बाद भी कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई और विगत में जिन रिपोर्टों से वे जुड़े थे, उन्हें किस प्रकार रिकार्डों के रूप में तिलांजलि दे दी गई। हालांकि, उन्होंने विश्वास जताया कि वर्तमान बैठकों से संबंधित रिपोर्टों का यह अंजाम नहीं होगा और इसके परिणाम स्वरूप मंत्रालय द्वारा दिखाई गई कर्तव्यनिष्ठता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में सुधार होगा।

36.2 उन्होंने दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि ये माता–पिता विशेषकर, पुरूष ही हैं जो कभी–कभी बच्चों की शिक्षा के मार्ग में रोड़े अटकाते हैं जैसा कि वे परिवार नियोजन के मामले में किया करते थे।

36.3 उन्होंने मध्याह्न भोजन के तहत दिए जाने वाले अस्वास्थ्यकर भोजन के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की और यह कहते हुए इसकी कारगरता पर सवाल उठाया कि किस प्रकार मध्याह्न भोजन प्रदान करने जैसे पुण्य के कार्य में भी लोग पैसा कमाने से नहीं चूक रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भ्रष्टाचार दूर करने तथा तंत्रों में सुधार करने हेतु समुचित नियंत्रण एवं रोकथम की आवश्यकता है।

36.4 उन्होंने इस बात पर भी अफसोस जताया कि शिक्षा के परिणामस्वरूप नौकरी की तलाश में लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करने पर मजबूर हुए हैं और इस दयनीय स्थिति पर भी अफसोस जताया जिसके तहत इन लोगों को झुग्गियों में रहने को मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाने की आवश्यकता है जिससे इसके स्वरूप को एक उद्योग से अलग रखा जा सके जिनसे ऐसे लोग निकलते हैं जो असंवेदनशील होते हैं, जिनकी कल्पना शक्ति तथा सृजनात्मकता खो चुकी होती है और यहां तक कि वे अपनी स्थिति पर शर्मिंदा होते हैं और उन्होंने इस प्रकार की शिक्षा के घटते महत्व की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि यदि शिक्षा का यही नतीजा है तो इस पर यथाशीघ्र दोबारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

37. सुश्री कुमुद शर्मा, सदस्य, ने संक्षेप में हाल ही में इतिहास की पाठ्यपुस्तकों से संबंधित विवादों का उल्लेख करते हुए सुझाव दिया कि इतिहास की पुस्तकों को पुनः लिखवाया जा सकता है अथवा संविधान के भावों के अनुरूप इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। हालांकि, विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ व्यापक परामर्श तथा विचार–विमर्श के उपरांत ही ऐसा किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी व्यक्ति के गरीब होने के कारण उसे व्यावसायिक शिक्षा से वंचित न रखा जाए, उन्होंने सुझाव दिया कि व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने को इच्छुक गरीब विद्यार्थियों के लिए शिक्षा उपकर के रूप में एकत्र की जाने वाली धनराशि में से कुछ राशि इन विद्यार्थियों के लिए निर्धारित की जा सकती है और यह भी आग्रह किया कि ऐसे विद्यार्थियों से गारंटी की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे इस स्थिति में नहीं भी हो सकते हैं। उच्चतर शिक्षा के संबंध में उन्होंने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की बदहाली का उल्लेख किया जहां शिक्षण स्टाफों की नियुक्ति नहीं की गई है और इस विश्वविद्यालय में जहां शायद ही कोई विद्यार्थी है केवल एक ही प्रोफेसर है। उन्होंने आग्रह किया कि इस मामले की यथाशीघ्र समीक्षा की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों को मॉनीटर करने हेतु इस संबंधी कोई तंत्र होना चाहिए।

38. श्री राम कापसे, उप राज्यपाल, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, ने विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन और द्वीपों के शैक्षिक विकास में हुई प्रगति का पुनः आकलन करना आरंभ किया है और उन्होंने कहा कि संघ शासित प्रदेशों में सर्व शिक्षा अभियान को पूरे जोर–शोर से लागू किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से अपील की कि लकड़ी काटने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा रेत निकालने पर लगाई गई रोक, जिसके कारण स्कूल भवनों के निर्माण पर बुरा प्रभाव पड़ा है, को ध्यान में रखते हुए वह बुनियादी सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करे। उन्होंने नई नियुक्तियों पर लगी रोक के मद्देनजर संघ शासित प्रदेशों में शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी समस्याओं की ओर भी इशारा किया और संपूर्ण द्वीप समूहों पर विद्या वाहिनी परियोजना के विस्तार करने का भी अनुरोध किया।

39. श्री किरण कार्निक, सदस्य ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा, विशेषकर, उच्चतर शिक्षा पर दिए गए बल का उल्लेख किया जिसका आज की सफलता में अत्यंत योगदान है। उन्होंने सार्वजनिक निजी सहभागिता का भी उल्लेख किया जिसका प्रभाव व्यापक है। उन्होंने बुनियादी स्कूल स्तर पर गुणवत्ता की आवश्यकता पर बल दिया और अधिक सुलभता, समानता, शिक्षकों हेतु नई शिक्षा पद्धति की सुलभता, विषयपरकता तथा प्रासंगिकता और अध्ययन तथा मॉनीटरिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के निमित्त सक्षम बनाने में शिक्षा के एक साधन के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि बेहतर गुणवत्तारपरक शिक्षण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात को दुहराया कि सूचना प्रौद्योगिकी पांच मामलों में महत्वपूर्ण है यथा :–

(i) सुलभता : चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा को कम लागत पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकती है;

(ii) समानता : चूंकि यह सभी को एक साथ समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान कर सकती है;

(iii) विषयपरकता तथा प्रासंगिकता : सूचना प्रौद्योगिकी ग्राम्यता तथा विषयपरकता के बारे में सीखने में मदद कर सकती है।

(iv) त्वरन : यह अध्ययन प्रक्रिया को त्वरित कर सकती है; और

(v) अनुवीक्षण : यह प्रभावी अनुवीक्षण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है।

39.2 उन्होंने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सफल उपायों तथा परिणामों में अभिवृद्धि काफी सीमित रही है जो संसाधनों की कमी के कारण नहीं बल्कि प्रबंधकीय तथा संगठनात्मक कारणों से है। उन्होंने सरकार के उस निर्णय का स्वागत किया जिसके तहत शिक्षा पर व्यय के रूप में सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उप–कर लगाने की बात कही गई है।

40. श्री घनश्याम तिवारी, शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार ने शिक्षा उप–कर का तो स्वागत किया परन्तु इस बात पर अफसोस जताया कि शिक्षा हेतु योजनागत आबंटन में कोई समानुपातिक वृद्धि नहीं की गई है। उन्होंने भारत सरकार को सर्व शिक्षा अभियान और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संबंधी वार्षिक योजनाओं के लिए समय पर अनुमोदन प्रदान करने हेतु धन्यवाद दिया। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा की सहायतार्थ शिक्षा उप–कर लगाए जाने की भी सराहना की, परन्तु उन्होंने महसूस किया कि यह धनराशि भारत सरकार के किसी संचित निधि में न रखकर किसी हितकारी निधि में रखी जाए। राजस्थान में 54,000 शिक्षक पदों के बकाया पदों को दूर करने और स्कूलों में पीने के पानी के प्रावधान देने हेतु भारत सरकार से सहायता मांगी है। उन्होंने जलौर और बनसवारा जिलों में महिला शिक्षण संस्थान को भारत सरकार द्वारा सहायता देने का तर्क दिया। उन्होंने यह कहा कि लोक जुम्बिश परियोजना समाप्त हो गई है और इसके कार्यकलाप, सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शुरू किए गए हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि राजस्थान के प्राथमिक स्कूलों में इस वर्ष जुलाई महीने में अतिरिक्त बच्चों का दाखिला किया गया है। उन्होंने राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान को शीघ्रता से कार्यान्वित करने पर बल दिया और भारत सरकार से पूरी सहयोग करने का अनुरोध किया।

41. श्री जी0 पी0 देशपाण्डे, सदस्य ने यह कहते हुए अपनी टिप्पणी की इस बात पर विचार करने का समय आ गया है कि क्या पढ़ाना चाहिए। उन्होंने यह उल्लेख किया कि इसमें व्यापक सहमति थी, यह उत्कृष्ट हो सकती है कि राष्ट्र को अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए लेकिन पाठ्यपुस्तकों के निर्धारण में सहमति होनी चाहिए, अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे स्वयं पाठ्यपुस्तक के वाद–विवाद का उल्लेख नहीं कर रहे थे और न ही उन्होंने 'उत्कृष्ट सहमति' शब्द का प्रयोग अप्रतिष्ठजनक भाव से किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सहमति का अर्थ देश के उन पढ़े लिखे व्यक्तियों से है जो ये जानते हैं कि देश के लिए उनके परिप्रेक्ष्य में क्या अच्छा है ने सहमति से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार करने का निर्णय लिया जो कि क्षीण हो रही थी।

41.2 उन्होंने इस संबंध में भी मुद्दा उठाया कि शिक्षा का समवर्ती सूची होना भी समस्याएं उत्पन्न कर रहा है और इस बात पर बल दिया कि शिक्षा स्वायत्त विषय नहीं होना चाहिए। राष्ट्र का एक परिप्रेक्ष्य होना चाहिए यद्धपि राज्यों के अपने क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य भी है, लेकिन ये भी सम्पूर्ण व्यापक

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के भीतर होने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि इस मुद्दे की जांच करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड गठित किया जाए।

42. श्रीमती आनन्दीबेन एम0 पटेल, शिक्षा मंत्री, गुजरात ने उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने 30 प्रतिशत से कम महिला साक्षरता दर वाले गांवों का पता लगाया है। उन्होंने, सामुदायिक भागीदारी के प्रयासों का उल्लेख किया जिसमें नामांकन अभियानों हेतु मंत्री परिषद और आई.ए.एस./आई.पी.एस. के अधिकारियों के गांवों के दौरे शामिल हैं।

42.2 कन्याओं के बढ़ते हुए नामांकन के लिए राज्य सरकार ने विद्या लक्ष्मी बांड प्रारंभ किया है जिसमें 7वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कन्या नर्मदा बांड की राशि प्राप्त कर सकती है। उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य ने बच्चों की बीमा योजना शुरू की है जो कि आंगनवाड़ी और प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए भी स्वास्थ्य योजना हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने मातृ बंदना योजना के अन्तर्गत कन्याओं को फोलिक एसिड गोलियों प्रदान करके छात्राओं को एनीमिया से बचाने का निर्णय लिया है। उहोंने यह भी उल्लेख किया कि राज्य सरकार स्कूलों में उपयुक्त प्रसाधन और पानी का प्रबंध करने का प्रयास कर रही है ताकि इस वजह से छात्राएं स्कूलों में पढ़ाई बीच में छोड़कर न जाएं।

42.3 उन्होंने आगे उल्लेख किया कि राज्य सरकार प्राथमिक स्कूलों का दर्जा बढ़ाने का प्रयास कर रही है ताकि छात्राओं को स्कूलों में रखा जा सके जो कि उच्च प्राथमिक स्कूलों की लम्बी दूरी के कारण प्राथमिक कक्षाओं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं।

42.4 राज्य सरकार शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है और पारदर्शी तरीके से स्थानान्तरण किए जा रहे हैं। उन्होंने आयोजित किए जाने वाले कर्मयोग योजना और विज्ञान मेलों का उल्लेख किया। उन्होंने राज्य में 35000 आंगनवाड़ियों का उल्लेख किया और इनके कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त सहायता देने का अनुरोध किया।

43. श्रीमती कृष्णा सोबती, सदस्य ने कहा कि उन्होंने देश के एक लेखक नागरिक के रूप में अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास किया है उन्होंने यह भी कहा कि एक लेखक जमीन और संस्कृति से आत्मित होता है और अपने क्षेत्र के वातावरण और हो रही घटनाओं के प्रति संवेदनशील होता है। उन्होंने कहा कि यह विचार किसी व्यक्ति के शक्ति केन्द्र या राजनीतिक पार्टी का एकाधिकार नहीं हो सकता और उन्होंने महससू किया कि प्रत्येक नागरिक अपने जीवन में इस सच्चाई को दर्शाता है।

43.2 उन्होंने एक गंभीर मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो ऊपर से देखने में कम महत्व का प्रतीत हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमारा समाज इस राजनैतिक नाटक को गंभीरता से देख रहा है और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के पिछले छः दशकों के दौरान, हमारी राजनैतिक शिक्षा, वाद–विवाद और भाषा ने हमारी नैसर्गिक भाषा का रूप बिगाड़ दिया है और आवश्यकता से अधिक बोलने पर भी कुछ न कुछ नियंत्रण होना चाहिए। प्रक्रिया के परिणामस्वरूप हमारी राष्ट्रीय भाषा का सांस्कृतिक पतन हो रहा है। समाज इसे दूसरों के विचारों की परवाह और प्रशंसा न करने के रूप में देख रहा है, इसके स्थान पर प्रजातंत्र की प्रणाली और गंभीर प्रजातांत्रिक मूल्यों का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने जानना चाहा कि हम इस भाषा को किस रूप में अपने बच्चों को देना चाहते हैं और उन्होंने यह अनुभव किया कि हमें उस भाषा पर बल देना चाहिए जो अंतिम रूप से देश में प्रजातांत्रिक मूल्यों को संरक्षित करे, विशेषतया अब जबकि हिंसा का दर्शन राष्ट्र को क्षति पहुँचा रहा है।

4 3 . 3 उन्होंने कहा कि इतिहास की पाठ्यपुस्तकों का वाद–विवाद वरिष्ठ एतिहासकारों पर छोड़ देना चाहिए जो भारतीय जनता के लिए भाषण, पुराणविद्या से पृथक इतिहास और एतिहासिक तथ्यों का निर्धारण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं रह गई है बल्कि यह अन्यों को आंतकित करने का अस्त्र बन रही है। यह सबके लिए बनी है और भाषा को बढ़ावा देना लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।

4 3 . 4 सिविल सोसाइटी, राजनीतिक पार्टियों से भिन्न है और यह अपने विषयों और राजनीतिक पार्टियों पर नजर रख सकती है। उन्होंने सिविल सोसाइटी की भूमिका पर बल दिया जिन्हें कार्य करने की अनुमति प्रदान न की गई तो इससे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी जिससे शक्ति पद्धति और शक्ति के प्रयोग का कोई अस्तित्व नहीं होगा। सिविल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा वर्ग अपने भविष्य के लिए आने वाली पीढ़ी के हित का ध्यान रखते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि किस प्रकार के लिखित ब्यौरे या संवाद जनता में सामुदायिक और धार्मिक समस्याएं एवं अशांति उत्पन्न कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां यह भली प्रकार समझती हैं और आशा करती है कि वे इन मुद्दों को अपने व्यक्तिगत और पूर्वावधारित विचारों को उठाए बिना, मेल मिलाप से सुलझा पाएंगी।

43.5 उन्होंने महसूस किया कि राष्ट्र के हित के लिए संयमित भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए और इसका प्रयोग ऐसी निश्चितता से करना चाहिए ताकि इसके पाठ के गूढ़ रहस्य हमारे बच्चों के दिल एवं दिमाग तक पहुँच सकें।

43.6 उन्होंने कहा कि उन संस्थाओं, जो पिछले 50 वर्षों से अस्तित्व में है, की स्वायत्तता पर बल देने की आवश्यकता है और महसूस किया कि इस विषय पर राजनीतक विवाद की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि राजनीतिक बलों के बीच वैचारिक मतभेद होंगे और तथापि उन्होंने महसूस किया कि समाज की सामान्य गति को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है ताकि इसको सुव्यवस्थित बनाए रखा जा सके।

43.7 उनके अनुसार, देश में बच्चों को देश में उत्पादित फलों और भोजन का अधिकार है और सलाह दी कि मध्याह्न भाजन में कभी–कभार फलों और आइसक्रीम जैसे मदों को भी दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यद्यपि यह सुनने में बड़ी बात प्रतीत होती है परन्तु चावल और दाल की जगह कुछ और बच्चों को अत्यन्त प्रसन्नता प्रदान करेगा और इसे कार्यान्वित में अधिक कठिनाई भी नहीं होगी।

44. श्रीमती अलका जैन, शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश, ने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निधियन पद्धति जिसके अंतर्गत 25 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, में राज्यों के मामली संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। उन्होंने इस बात की वकालत की कि निधियन पद्धति को वर्तमान की 75:25 पद्धति से बदलकर 90:10 कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षा उपकर में से राज्य सरकारों को और अधिक निधियां दिए जाने की मांग भी की। उन्होंने उल्लेख किया कि मध य प्रदेश सरकार ने सेतु पाठ्यक्रमों के अंतर्गत विद्यालय बीच में छोड़े वाले 11000 बच्चों को शामिल किया है, 36000 शिक्षकों की नियुक्ति की है, 50000 बालिकाओं को साइकिलें प्रदान की हैं और कम्प्यूटर शिक्षा हेतु ''हैड स्टार्ट'' कार्यक्रम के कार्यान्वयन के साथ–साथ मदरसों के आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया है। उन्होंने विशष रूप से सर्व शिक्षा अभियान और एन.पी.ई.जी.एल. कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे राज्य सरकारों को सहायता मिल रही है। उन्होंने इन कार्यक्रमों हेतु केन्द्रीय हिस्से की संस्वीकृति में हो रहे विलम्ब की ओर ध्यान आकर्षित कराया और कहा कि चूंकि शिक्षा उपकर भारत सरकार द्वारा ही रखा जा रहा है अतः केन्द्र और राज्यों के बीच सर्व शिक्षा अभियान की

निधियन पद्धति को संशोधित करके 90:10 कर दिया जाना चाहिए (उनके अभिभाषण का पाठ संलग्नक–viii में दिया गया है)।

45. प्रो0 पी0 बी0 शर्मा, सदस्य ने उल्लेख किया कि देश शिक्षा क्षेत्र में अवसरों के द्वार पर खड़ा है और आने वाले वर्षों में गुणवत्तामूलक शिक्षा और अनुसंधान का गंतव्य स्थान बन जाएगा। अतः इस बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है कि चुनौतियों का सामना करने के लिए किस प्रकार के शैक्षिक ढ़ांचे की आवश्यकता है।

45.2 उन्होंने शिक्षकों की कमी का और शिक्षा सेक्टर में भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास, विशेष रूप से 'एडूसेट', जिसे कि सितम्बर में प्रेक्षेपित किया जाना है का पूरी तरह से लाभ लेने का आग्रह किया। उन्होंने उल्लेख किया कि यदि इसका ठीक तरह से उपयोग किया जाए, यह न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेगा अपितु सभी स्तरों पर शिक्षा की विधियों में क्रांति ला देगा।

45.3 वे चाहते थे कि व्यापक शिक्षा नीति के बारे में विचार–विमर्श के साथ–साथ क्षेत्रीय नीतियों के विकास की आवश्यकता के बारे में भी गंभीर विचार–विमर्श होना चाहिए ताकि संपूर्ण शिक्षा नीति को अंतिम रूप दिए जाने तक क्षेत्रीय नीतियां तैयार हो जाएं। उन्होंने इस उद्देश्य हेतु यह भी आग्रह किया कि, उद्योग में संबंधित सेक्टरों से उनकी आवश्यकताओं और जरूरतों के बारे में परामर्श किया जाए। उनके द्वारा दिया गया नोट (संलग्नक–ix) में संलग्न है।

46. श्री हर्षदेव सिंह, शिक्षा मंत्री, जम्मू एवं कश्मीर ने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम के प्रावधान को शामिल करने के लिए सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने राज्य के सामने आने वाली समस्याएं अर्थात बुनियादी सुविधाओं की कमी, महिला कम्प्यूटर साक्षरता और राज्य में विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय न खोलने से संबंधित समस्या की भी चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज कार्यान्वित न करने से संबंधित मुद्दा भी उठाया। उन्होंने महससू किया कि रोजगार पैकेज सर्व शिक्षा अभियान जैसे केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत अधिकारों के अतिरिक्त है लेकिन उन्होंने यह कहा कि प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग ने निर्णय लिया है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सृजित पद, पैकेज के भाग के रूप में माने जाएंगे। उन्होंने राज्य में क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों के पुर्ननिर्माण के लिए बकाया निधियों के जारी करने का अनुरोध किया।

वह कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रमों, आधारभूत सुविधाओं के विकास और प्रयोगशाला उपस्कर की व्यवस्था के प्रस्तावों की शीघ्र स्वीकृति भी चाहते थे। मंत्री जी ने सर्व शिक्षा अभियान के समग्र कार्यान्वयन की सराहना की लेकिन कहा कि महिला साक्षरता के मुद्दे के बारे में शीघ्र पता लगाने की आवश्यकता है। उन्होंने राज्य को उनकी विशिष्ट मांगों को पूरा करने के लिए विशेष सहायता के बारे में कहा और इसपर जोर दिया कि जब कभी भी ये लाभ पूर्वोत्तर राज्यों को दिए जाएं तब जम्मू और कश्मीर सहित अन्य पर्वतीय राज्यों को भी ये लाभ दिए जाएं।

47. श्री किरन सेठ, सदस्य ने सदस्यों को बुद्धि कौशल और हृदय के बीच समन्वय के रूप में शिक्षा के गांधीवादी दृष्टिकोण के बारे में याद दिलाया जो कि शिक्षा का उद्देश्य है और बताया कि तथापि मस्तिष्क और हस्त पहलू बहुत महत्वपूर्ण थे लेकिन हृदय के पहलू को नकारा जा रहा था। उन्होंने बताया कि वृहद स्तर पर अभिभावकों और दादा–दादी, नाना–नानी तथा समाज द्वारा दिए जाने वाले

संस्कारों के स्थान पर इसे बच्चे दूरदर्शन और इन्टरनेट से प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने इसी तरह की स्थिति जिससे जापान जूझ रहा है का भी हवाला दिया और उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्नातकों सहित शिक्षित युवाओं द्वारा अच्छी नौकरी के बावजूद निराशा की समस्या से जूझने के बारे में कहा और उन्होंने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर स्तरों पर सशक्त सांस्कृतिक आदान–प्रदान की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होने परम्परागत कला रूपों की पुनर्जीवित करने की आवश्यकता परभी बल दिया। उनके अनुसार यह भारतीय जीवन दर्शन का प्रतिनिधित्व करती है।

48. श्री अजय चन्द्राकर, शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीमों को बताया जिनमें सभी बच्चों के लिए बीमा सुरक्षा की व्यवस्था तथा जनजातीय क्षेत्रों में बालिकाओं को साईकल प्रदान करने की व्यवस्था है। उन्होने छत्तीसगढ़ में स्कूल नामांकन अभियान के बारे में बताया। उन्होंने राज्यों को सर्व शिक्षा अभियान राशि को जारी करने में विलम्ब के संबंध पर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने विशेष रूप से रसोई के शेड की आवश्यकता, नौ जिलों में जिला प्रारम्भिक प्रशिक्षण संस्थान को शुरू करने और भवन, पीने के पानी और सफाई सुविधाओं के बगैर स्कूलों के लिए अतिरिक्त राशि के बारे में उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि राज्य में 21,000 शिक्षकों का चयन किया गया था और उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान स्कीम के अन्तर्गत शत–प्रतिशत केन्द्रीय निधियन के लिए अनुरोध किया क्योंकि यह एक नया राज्य था। उन्होंने राज्य साक्षरता कार्यक्रम के लिए और अधिक राशि की अपेक्षा की क्योंकि राज्य के आठ जनजातीय आबादी वाले जिलों में महिला साक्षरता दर 10 प्रतिशत से भी कम है। उन्होंने बताया कि 2000 स्कूल, जिन्हें समुदाय को अपने प्रयास से भवन और शिक्षक उपलब्ध कराने की शर्त पर समुदाय की भागीदारी से शुरू करना था, भवन और शिक्षकों की कमी की वजह से शुरू नहीं किए जा सके और इसके लिए सहयोग प्राप्त करने का अनुरोध किया।

49. श्री पी.एन. सिंह, शिक्षा मंत्री, झारखण्ड ने बताया कि झारखण्ड राज्य ने शिक्षक शिष्य का अनुपात 1:45 प्राप्त कर लिया गया है। उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मानदंडों में छूट देने की आवश्यकता के बारे में कहा ताकि प्रत्येक 1/2 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल खोले जा सके और उन्होंने पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षकों के आवासों के लिए भवनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने बताया कि खुले बाजार में प्रारम्भिक स्तर के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध न होने की वजह से उन बच्चों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था जिन्हें निशुल्क पाठ्यपुस्तक स्कीम के अन्तर्गत कवर नहीं किया गया था। उन्होंने भारत सरकार से झारखंड पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया और कहा कि झारखंड की मुख्य समस्या यह है कि वहां का बहुत बड़ा क्षेत्र पहाड़ी जहां पर आंतकवादी रहते हैं। वहां पर शिक्षकों का रहना बहुत मुश्किल हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे क्षेत्रों में एक किलोमीटर पर एक स्कूल के मानदंड को कम करके इसे आधा किलामीटर किया जाए। राज्य शिक्षकों के लिए उपयुक्त आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था करने की भी अपेक्षा करता है क्योंकि उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में प्रतिदिन लम्बी यात्रा करनी पड़ती है जो कि आंतकवादी की वजह से दुष्कर होता जा रहा है।

49.2 उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले विभिन्न समुदाय के बच्चों के बीच कोई अन्तर नहीं रखना चाहिए और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ऐसे सभी बच्चों को निशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जानी चाहिए और ये सभी 14 स्थानीय भाषाओं में होनी चाहिए।

49.3 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में, जहां तक सम्भव हो, बच्चों की माताओं को स्कूलों में भोजन पकाने की प्रक्रिया में लगाया जाए ताकि पका हुआ कोटिपरक भोजन बच्चों को प्रदान किया जा सकना

सुनिश्चित किया जा सके। तथापि उन्होंने बताया कि भोजन पकाने की लागत को वहन करने के लिए प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित राशि उपयुक्त नहीं थी और उन्होंने अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया।

50. श्रीमती नीना रंजन, सचिव (संस्कृति) ने कहा कि उन्हें एक छोटी सी कार्यसूची प्राप्त हुई थी जो कि वास्तव में एक बड़ा मुद्दा था और यह एक ऐसा मुद्दा है जिसने बहुत से प्रतिनिधि मंडलों को प्रभावित किया। उनका विचारथा कि स्कूल के बच्चों में उनकी संस्कृति और धरोहर के बारे में ज्ञान देना बहुत आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी संघटित संस्कृति को समझने में बहुत मुश्किले है और उन्होंने कुछ स्कीमों का हवाला दिया जो कि इस समस्या में सुधार करने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है। उन्होंने बल दिया कि संस्कृति मंत्रालय इसमें संबंधित सुधार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य करेगा। उन्होंने बताया कि संस्कृति मंत्रालय का दो मुख्य कार्यक्रमों अर्थात् (।) मूर्त और अभूर्त विरासत मिशन, और देश में उन सभी स्मारकों के लिए जिनका संरक्षण नहीं रखा जा रहा है, के लिए मिशन में स्कूल और कालेज के बच्चों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

51. श्री प्रफुल्ल बिदवई, सदस्य ने विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों के साम्प्रदायिक होने के प्रश्न को उठाया। उन्होंने उल्लेख किया कि हमारा समाज बहुलवादी समाज है और देश के लोग एक धर्म या एक भाषा या एक जाति समूह के नहीं है। कतिपय पाठ्यपुस्तकों के विषयों का हवाला देते हुए उन्होंने अनुरोध किया कि इन मामलों की जांच करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक उप समिति गठित की जाए जो सभी राज्यों का यह सुझाव देगी कि पाठ्यपुस्तकों में एक उपयुक्त दृष्टिकोण दर्शाया जाए।

उनके भाषण के दौरान कुछ सदस्यों ने बार–बार हस्तक्षेप किया और अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से कार्रवाई पर बाधा न डालने का अनुरोध किया।

52. श्री जे.के. दादू, सचिव (वित्त और शिक्षा), दमन और दीव, और दादर और नगर हवेली ने बताया कि संघ शासित क्षेत्र ने सर्व शिक्षा अभियान को गम्भीर रूप से कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है। उन्होंने महसूस किया कि सर्व शिक्षा अभियान का माध्यमिक शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा जिससे कुछ आवश्यकता उत्पन्न होगी और माध्यमिक शिक्षा के लिए अतिरिक्त शिक्षा कक्ष की आवश्यकता की पहले से ही योजना बनानी चाहिए अन्यथा प्रारम्भिक शिक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् बच्चों को समायोजित करने की समस्या होगी।

52.2 सचिव (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा) ने नोट किया कि तमिलनाडु, हरियाणा, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश और बिहार का कोई भी प्रतिनिधि नहीं था। सचिव (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा) ने सचिव (प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता) से सदस्यों के इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा।

53. सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग ने केन्द्रीय सलाहार शिक्षा बोर्ड के सदस्यों को उनके मूल्यवान सुझावों के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इन सुझावों का ध्यान में रखा जाएगा और भारत सरकार राज्य सरकारों की इच्छा को पूरा करने का भरसक प्रयास करेगी। नीति मुद्दे के संबंध में कतिपय सदस्यों द्वारा पूछे गए मुद्दों का हवाला देते हुए सूचित किया किः

(i) मानव संसाधन विकास मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंश के मानदंडों को 75:25 से परिवर्तित करके 90:10 करने के लिए जुलाई, 2004 में योजना आयोग को पहले ही पत्र लिखा है।

(ii) राज्यों की आवश्यकता के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के मानदंडों के अन्तर्गत उन्हें आवश्यक छूट प्रदान कीजा सकती है;

(iii) सर्व शिक्षा अभियान और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 यथासंशोधित, 1992 का अनुपालन किया; और

(iv) सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा गारंटी स्कीम को मुख्य रूप से बढ़ावा नहीं देता है। स्कूलों में 17 करोड़ बच्चों की तुलना में शिक्षा गांरटी स्कीम केन्द्रों में केवल 6 लाख बच्चे हैं। शिक्षा गारंटी स्कीम और वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा पढ़ाई बीच में छोड देने वाले बच्चों, बालिकाओं, दुर्गम परिस्थितियों वाले बच्चों इत्यादि को स्कूल की मुख्य धारा में लाने के लिए सहयोग देने के लिए उपयोग किए गए केवल अल्पावधि उपाय हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार तैयार की गई है जो कि स्वयं अनौपचारिक शिक्षा और इसके विस्तार पर विचार करती है। 85,000 शिक्षा गारंटी स्कीम केन्द्रों में से 35000 केन्द्रों को नियमित स्कूलों में परिवर्तित किया गया है और सभी बालिकाओं, अल्पसंख्यकों इत्यादि की नियमित कोटिपरक स्कूल प्रणाली की व्यवस्था का प्रयास किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक से संबंधित सुझावों का स्वागत किया गया लेकिन आवश्यकता की अनिवार्यता को ध्यान में रखकर उनके साथ समझौता किया जाएगा और उस पर विस्तृत परामर्श लिया जाएगा। मध्याह्न भोजन स्कीम के अन्तर्गत कुछ राज्यों ने बिना पके भोजन की व्यवस्था के लिए छूट के लिए कहा। इन राज्यों को छूट लेने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय से सीधा सम्पर्क करना होगा। पहाड़ी राज्यों में पहाड़ी यातायात के लिए 50 रू0 प्रति क्विंटल कीअतिरिक्त सहायता पहले से ही दी जा रही है और माध्याह्न भोजन स्कीम को योजना आयोग इत्यादि में साथ परामर्श करके संशाधित किया जा रहा है ताकि पकाने की लागत को वहन करने के लिए केन्द्रीय सहायता बढ़ाई जा सके।

53.2 हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्रालय द्वारा उठाए गए मुद्दे पर सचिव (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा) ने बताया कि जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल का पहले से ही विशेष श्रेणी के राज्यों की सूची में रखा गया है।

54. प्रो0 एच0पी0 दीक्षित, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने कम कीमत पर शिक्षा की पहुंच को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उपलब्ध सीमित संसाधनों के साथ शिक्षा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित सेटलाइट एजुसेट को पूर्ण रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है जो कि सितम्बर, 2004 में शुरू की जानी थी और बताया कि इससे देश के किसी भी भाग में स्थित शिक्षक को प्रशिक्षित करना बहुत आसान और लागत प्रभावी हो जाएगा। उन्होंने सदस्यों को यह भी बताया कि इग्नू और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने एक अन्तः संस्थागत केन्द्र शुरू किया है जहां पर राज्य से लोगों को विकासशील कोटिपरक विषय में प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और राज्यों के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर को तैयार करने में सक्षम होने के बाद वे अपने राज्य में जा सकते हैं। 3–4 महीने के पश्चात् वे अपने सॉफ्टवेयर बनाने और उन्हें शुरू करने में सक्षम हो जाएंगे।

54.2 उन्होंने गणित और भाषा की बुनियादी कुशलता की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया और बताया कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इन कौशल में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का प्रयास कररही है ताकि इन्हें देश के सभी दूर–दराज के स्थानों के छात्रों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने उन शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी बल दिया जिन्हें अभी तक प्रशिक्षित नहीं किया गया है लेकिन वे सेवा में है।

54.3 उन्होंने राज्य सरकारों की सूचना के लिए यह भी बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरणीय अध्ययन पर कक्षा i से xii तक के लिए पूर्ण रूप से एक पाठ्क्रम शुरू करने के लिए आदेश दिया और राज्यों से अनुरोध किया कि वे माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने में सहयोग दे। पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता के संबंध में उन्होंने सदस्यों का बताया कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पुस्तकों के लिए देश में 350 विक्रेता हैं और वे पुस्तकें सभी को उपलब्ध कराई गई और इनकी कोई कमी नहीं थी। उन्होंने झारखंड की मांग को भी नोट किया और उसके शीघ्र अनुपालन को सुनिश्चित किया।

55. श्री शार्दिन्दु, अध्यक्ष, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने उन संस्थाओं द्वारा जो बी.एड. पाठ्यक्रम पहले से चला रहे हैं, यह पाठ्यक्रम जारी रखने हेतु राज्यों से अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता को परिहार्य करने के रा0शि0शि0परिषद के निर्णय के सम्बंध में उठाए गए मुद्दे का संदर्भ दिया है तथायह स्पष्ट किया है कि देश में प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी को ध्यान में रखते हुए जनवरी, 2004 में निर्णय लिया गया था तथा यह निर्णय 3 वर्ष के लिए लिया गया था। रा0शि0शिक्षा परिषद ने यह निर्णय केवल उन संस्थाओं के लिए लिया था जो बी0एड़ पाठ्यक्रम पहले से ही चला रहे थे। यदि ये संस्थाएं चाहें तो वे शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम चलाने के लिए राज्य सरकारों से नया अनापत्ति प्रमाणपत्र लिए बिना रा0शि0 शिक्षा परिषद् को आवेदन कर सकती है। उन्होंने उल्लेख किया कि चूंकि राज्यों ने आपत्ति की है अतः रा0शि0शि0 परिषद मामले पर फिर से विचार करेगी। उन्होंने सदस्यों का यह भी सूचित किया कि मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने रा0शि0शि0 परिषद को, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता देने के लिए सरल प्रक्रिया बनाने का निदेश दिया है। तथा रा0शि0शि. परिषदअपने प्रोफार्मो का सरलीकरण करेगा तथा यह पूर्व प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक जो एम0एड0 पाठ्यक्रम भी चलाते हैं, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता देने के लिए समय सूची तैयार करेगा। मंत्रियों ने, राज्यों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लिए बिना संस्थाओं को बी0एड0 पाठ्यक्रम चलाने के लिए दी जा रही अनुमति हेतु कुछ राज्यों के विरूद्ध आपत्ति दर्शाई है। सचिव, (माध यमिक एवं उच्चतर शिक्षा) ने प्रत्युत्तर दिया कि इस मामले पर नए तरीके से विचार किया जाएगा। उन्होंने निदेशक, रा0शि0अ0प्र0परिषद और निदेशक रा0शि0शि0 परिषद से सदस्यों को स्थिति स्पष्ट करने का भी अनुरोध किया।

56. डा0 अशोक गांगुली, सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सदस्यों को सूचित किया कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सम्पूर्ण देश में तथा विदेशों में इससे सम्बद्ध स्कूलों में एकसमान पाठ्यचर्या कार्यान्वित कर रहा था। उन्हें आशा थी कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विभिन्न बाहरी ग्राहक समूह के बीच समानता एवं उत्कृष्टता की मांग का प्रत्युत्तर दे रही है जिससे उत्कृष्टता एवं समानता के बीच दोहरे सम्बंध समाप्त हो रहे हैं तथा यह बहु–संस्कृतिवाद के साथ समायोजन के लिए मार्ग प्रशस्त करता रहा है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि माध्यमिक शिक्षा की वित्तीय आवश्यकताओं पर भी विचार किया जाना चाहिए तथाइस आवश्यकता पर प्राथमिकता वाली प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्च प्रोफाईल उच्चतर शिक्षा का प्रभाव नहीं पडना चाहिए क्योंकि जीवन के इस चरण में

बच्चे अधिक से अधिक बुनियादी ज्ञान तथा जीवन कौशल प्राप्त करते हैं। उन्होंने सुश्री शुभा मुदगिल स इस बात पर सहमति व्यक्त की कि संगीत, नृत्य, पेंटिग तथा कला जैसे विषय लेने वाले छात्र बहुत कम हैं तथा यह माना कि यह कोर पाठ्यचर्या दृष्टिकोण के कारण है जिस पर नए रूप से विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने जर्मनी और चीन जैसे अन्य देशों में बड़ी संख्या में पढ़ाई जा रहे विषयों का भी उल्लेख किया तथा अतिरिक्त विषय आरंभ करने पर बल दिया ताकि बच्चे के लिए सक्षम हो सकें। उन्हें शिक्षा को मनोरंजक बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया तथा उल्लेख किया कि कक्षा V तक शिक्षा सतत तथा व्यापक मूल्यांकन पर आधारित हानी चाहिए जिसमें उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण का कोई मानदण्ड नहीं हो तथा इसे धीरे–धीरे कक्षा–viii तक बढ़ाया जानाचाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि उद्यम कौशल तथा जीवन कौशल तथा विपदा प्रबंधन में प्रबोधन के साथ सम्पूर्ण देश में एकसमान पाठ्यचर्या आरंभ करने पर व्यापक रूप से विचार करने का सुझाव दिया तथा देश में सभी शिक्षा बोर्ड द्वारा व्यापक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है।

57. श्रीमती मृदुला सिन्हा, अध्यक्ष, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में प्रथम बार बोलने के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष को आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड शिक्षाके क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। तथा उन्होंने संघनित पाठ्यक्रमों के माध्यम से स्कूल बीच में छोड़कर जाने वाली सात लाख लड़कियों की शिक्षा को सुकर किया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा तैयार किए नेटवर्क को सुदृढ़ करके स्कूल बीच में छोड़कर जाने वाले छात्रों के बीच साक्षरता दर में धीरे–धीरे वृद्धि हो सकती है। उन्होंने व्यापक रूप से सामुदायिक भागेदारी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित महिलाओं को प्रेरित करने का अनुरोध किया। उन्होंने समाज में जीवन मूल्यों को बहाल करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि परिवारों के बीच आपसी जुड़ाव समाप्त हो रहा था तथा शिक्षा का लक्ष्य केवल इंजीनियर प्रौद्योगिकीविद, तथा डॉक्टर बनाना ही नहीं अपितु अच्छे मानव बनाना भी है। उन्होंने गांवों में बाल परिचर्या केन्द्र की आवश्यकता पर बल दिया ताकि परिवारों में छोटे भाई बहनों की देखभाल का उत्तरदायित्व बड़ी लड़कियों पर न पड़ सके। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं के बीच स्कूल बीच में छोड़ने वालों की उच्च दर पर रोक लगेगी।

58. डा0 पी0के0 जोशी, निदेशक, नीपा ने उल्लेख किया कि नीपा द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किया गया तथा परिमाणात्मक प्रगति के साथ–साथ गुणात्मक प्रगति भी आज की आवश्यकता है। नीपा विभिन्न राज्यों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा था तथा परियोजना आयोजना एवं अनुवीक्षण में विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान कर रहा था, इसके साथ–साथ यह शैक्षिक प्रशासकों को शिक्षा आयोजना के लिए प्रशिक्षण दे रहा है। उनका विचार था कि शिक्षा के क्षत्र में जो भी विस्तार किया गया था यह केवल व्यय नहीं है अपितु भविष्य कीपीढ़ी के लिए निवेश है। अतः इस परध्यान दिया जाना तथा कार्य पूरा करने के स्तर पर अनुवीक्षण करना अपेक्षित है। उन्होंने विभिन्न निर्णयों एवं प्रगति का विश्लेषण करने हेतु नीपा में विशेषज्ञों द्वारा विकसित किए गए विभिन्न प्रणालियों तथा यंत्रों की चर्चा की। समाज के अलाभन्वित वर्ग, अनुसूचित जाति, तथा अनुसूचित जनजाति के बीच तथा बालिका शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाएं तैयार की थीं। उन्होंने उल्लेख किया कि साक्षरता कार्यक्रमों को व्यावसायोन्मुख शिक्षा तथा रोजगार सृजन से जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि कई व्यापारी परिवारों में अपने बच्चों के लिए साक्षरता की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

59. श्री एस0पी0 गौड़, संयुक्त सचिव, माध्यमिक ब्यूरो ने केन्द्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड के सदस्यों को सूचित किया था कि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत शेष 10वीं योजनावधि के दौरान नए केन्द्रीय विद्यालय तथा नवोदय विद्यालय खोले जायेंगे। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि विशेष केन्द्र बिन्दु वाले जिलों पर इस संदर्भ में विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मंत्रालय माध्यमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं सृजित करने की 'क्नटाईम कास्ट' प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों तथा गैर सरकारी संगठनों को सहायता देने के लिए कार्यक्रम तैयार कर रहा है। उन्होंने जम्मू एवं कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों जैसे विशेष राज्यों के स्कूलों में कम्प्यूटर लैब प्रदान करने वाली परियोजनाओं का भी उल्लेख किया जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों का 90:10 का अनुपात होगा।

60. सचिव (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा) ने अपने विचार प्रकट करने के लिए कुछ संस्थानिक विशेषज्ञों को आमंत्रित किया तथा कहा कि विशिष्ट सदस्य उन मुद्दों के बारे में बात करें जिन पर स्पष्टीकरण चाहिए। उन्होंने प्रो0 अरूप निगोवेकर, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संक्षेप में यह वर्णित करने को कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य कर रहा है तथा उनकी प्राथमिकता क्या है तथा ऐसे कौन से मुद्दे है जिन पर ध्यान दिया जाना है।

61. प्रो0 अरूण निगवेकर, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्पष्ट किया कि 21वीं शताब्दी में उच्चतर शिक्षा का कठित, जटिल तथा चुनौतीपूर्ण महत्व है। उन्होंने पहुंच तथा समानता, शिक्षा की प्रासंगिकता, गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता नियंत्रण एवं संसाधनों में आने वाली आंतरिक कठिनाईयों का उल्लेख किया। उनके अनुसार पहुंच तथा समानता आने वाले कई दशकों तक अभिनिर्धारित क्षेत्र होंगे क्योंकि संगत आयु वर्ग में 100 छात्रों में से केवल 7 छात्र उच्चतर शिक्षा ग्रहण करते है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि सम्पूर्ण देश में शिक्षा की गुणवत्ता एक समान रहनी चाहिए तथा इन मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए सूचना तथा कम्यूनिकेशन प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा संसाधनों का परिवर्तित रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए।

61.2 उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि Xवीं योजना के दौरान कालेज या विश्वविद्यालयों को 100 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। Xवी पंचवर्षीय योजना में राज्य विश्वविद्यालयों का दिया गया सामान्य विकास अनुदान iXवीं योजना से डेढ़ गुना अधिक था। पिछड़े क्षेत्रों में प्रत्येक कालेज तथा विश्वविद्यालय को सामान्य अनुदान के अतिरिक्त विशेष अनुदान दिया गया। देश में प्रत्येक विश्वविद्यालय परिसर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचना नेटवर्क से जोड़ा गया है। उस प्रत्येक कालेज को जिसे विकास अनुदान दिया गया है उसे भी इस नेटवर्क से जोड़ा गया है। उन्होंने उल्लेख किया कि इस प्रणाली से मिजोरम एवं कर्नाटक में बहुत परिवर्तन आया है जिनके बारे में उन्होंने अपने दौरे के दौरान नोट किया।

61.3 उन्होंने स्पष्ट किया कि 306 विश्वविद्यालयों में केवल 186 विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त करने के पात्र थे, जिसका अर्थ है कि इन विश्वविद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की इच्छित स्तर तक बढाया जा सके। उन्होंने राज्यों से इस सम्बंध में उपयुक्त कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, परामर्श के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा अर्जित प्रत्येक एक रूपये पर अतिरिक्त एक रू0 देते हैं जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रू0 है, जिससे संग्रह एकत्रित किया जा सके ताकि उस पर मिले ब्याज को विकास उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा सके।

61.4 उन्होंने उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शोध उद्देश्यों हेतु दो स्वतंत्र चैनल सृजित किए थे तथा सांख्यिकी के ब्यौरे एवं अन्य सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विज्ञान शिक्षा के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैवप्रौद्योगिकी विभाग, इसरो, परमाणु ऊर्जा विभाग जैसे संगठनों के सहयोग से देश में चार राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान स्थापित किए गए थे जहां 10+2 छात्रों को नामांकित किया जाएगा।

61.5 अभिशासन के क्षेत्र में उन्होंने सूचित किया कि 'कन्सेप्ट पेपर' तैयार किया गया है तथा वह वेबसाईट पर उपलब्ध है इसके अतिरिक्त उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए इसे सभी विश्वविद्यालयों, अध्यापक संगठनों, छात्र संगठनों तथा जनसाधारण को वितरित किया जा रहा है। उन्होंने पश्चिम में ''कन्सेप्ट आफ ट्रेड इन एजूकेशन'' से उत्पन्न बाह्य चुनौतियों का उल्लेख किया। भारतीय उच्चतर शिक्षा का विदेशों में प्रोन्नति के सम्बंध में उन्होंने उल्लेख किया कि आने वाले महीनों में डब्ल्यू टी ओ तथा गेट करारों के प्रभाव पर भी चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि शिक्षा रोजगार से जुड़ गई है तथा तत्काल कुछ नीतिगत निर्णय लिए जाना अपेक्षित है। विदेशी विश्वविद्यालय की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए तथा देश की शिक्षा को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। उत्कृष्टता वाले विश्वविद्यालयों का पता लगाया जाएगा तथा विश्व स्तर तक लाने के लिए उन्हें प्रोन्नत किया जाएगा। शैक्षिक सुविधाएं सृजित करने के लिए अध्यापन में उत्कृष्टता वाले कालेजों को सहायता दी जाएगी। बाहर बेहतर शिक्षा को प्रोन्नत करने की भी आवश्यकता है तथा उन्होंने उल्लेख किया कि फिक्की के सहयोग से इथोपिया, केन्या तथा तनजानिया में भारतीय शिक्षा मेले आयोजित किए गए। अमेरिका में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। देश से बाहर भारतीय शिक्षा को प्रोन्नत करने हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है तथा इसके लिए कुछ सामान्य निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है।

61.6 उन्होंने आने वाली चुनौतियों के प्रकाश में विशेष रूप से उच्चतर शिक्षा के बारे में राष्ट्रीयस्तर पर चर्चा करने पर बल दिया। तकनीकी शिक्षा तथा व्यावसायोन्मुख शिक्षा खर्चीली होती जा रही है तथा सामान्य शिक्षा के समक्ष विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं।

61.7 अतः, शिक्षा के समवर्ती सूची के विषय होने के बावजूद, उनका मानना था कि एक आम कार्यनीति तैयार करने के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता है, और ''केब'' राष्ट्रीय नीति पर विचार करने के लिए उचित मंच है। उनका यह भी मानना है कि प्रत्यक्ष शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा के समेकन से शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। इसके साथ ही उच्चतर शिक्षा की पहुंच में वृद्धि करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दूरस्थ शिक्षा की व्यापकता को देखते हुए पारम्परिक शिक्षा से इसका सम्मिश्रण आवश्यक है। उनका मानना था कि इस कार्य को पूरा करने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उचित उपयोग करना होगा।

61.8 अंत में उन्होंने बताया कि राज्य विश्वविद्यालयों की व्यापक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वित्त आयोग से पांच हजार करोड़ रूपये के एकीकृत अनुदान प्रदान करने का आग्रह किया है और कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस मामले में आगे बात कर रहा है।

62. विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री कपिल सिब्बल ने कहा कि प्राथमिक स्तर पर शत–प्रतिशत साक्षरता प्राप्ति में सफल होना और उच्चतर शिक्षा स्तर पर उत्कृष्ट संस्थानों का निर्माण

करना महत्वपूर्ण है। बिना धन के और बिना यह जाने कि देश में कितने इंजीनियरों और चिकित्सकों को आत्मसात करने की क्षमता है, संस्थाओं का निर्माण नहीं किया जा सकता। अतः संस्थाओं की संख्या का निर्धारण और उनसे तैयार की गई मानव शक्ति की संख्या का निर्धारण, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था आगामी 10–15 वर्षों में आत्मसात कर सकती है, के लिए एक व्यावहारिक प्रणाली की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की एक बड़ी संख्या राजनेताओं के सहयोग से चल रही है, जो स्वयं ही नीति–निर्धारक हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रवेश प्रक्रिया का राजनीतिकरण हो गया है। उच्चतर शिक्षा का व्यावसायीकरण हो गया है जिस कारण धन कमाने को केन्द्र में रखते हुए अनेक निजी संस्थाएँ खुल गई हैं जो शिक्षा की गुणवत्ता की ओर ध्यान नहीं देतीं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थानों को छोड़कर उत्कृष्ट संस्थानों की संख्या न के बराबर है। उन्होंने देश में पाँच क्षेत्रीय केन्द्रों में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थानों की स्थापना का पुरजोर समर्थन किया। उनका विश्वास था कि विद्यालय स्तर पर ही बच्चों के मन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संस्कार भर देने होंगे, क्योंकि अगले 25 वर्षों में नियमित प्रौद्योगिकी विकास से ही भारत की काया पलट हो सकती है। मानकों में सुधार के लिए एक नए नीतिगत ढ़ांचे की आवश्यकता है और उन्होंने सुझाव दिया कि इस विषय में वांछित प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि संस्थाओं को स्वतन्त्रता और स्वायत्तता दी जाए जिससे वे उत्कृष्ट संस्थान बन सकें। हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की तरह केवल शैक्षिक संस्थाओं हेतु लगभग 5000 एकड़ की टाउनशिप का निर्माण किया जाना चाहिए।

63. 'केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद' के अध्यक्ष वैद्य श्रीराम शर्मा ने कहा कि संस्कृत केवल डेढ़ वर्ष की अवधि के लिए पढ़ाई जा रही है। उन्होंने अनुरोध किया कि केन्द्र और राज्य संस्कृत को विज्ञान विषयों में एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करें और यह बेहतर होगा यदि कक्षा Xii तक विद्यार्थियों को संस्कृत का समुचित ज्ञान हो। उन्होंने समाज के नैतिक मानदंडों में आ रही गिरावट का भी उल्लेख किया। इसके लिए उन्होंने कुछ हद तक शिक्षकों के व्यवहार को उत्तरदायी माना और सुझाव दिया कि बच्चों के मन में नैतिकता और मूल्यपरक शिक्षा का समावेश करना अत्यंत आवश्यक है।

64. भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष श्री किरीट जोशी ने संक्षेप में परिषद के कार्यकलापों का उल्लेख किया और बताया कि भारतीय दर्शनशास्त्र की संयुक्तता का सही दृश्य प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दार्शनिक अनुसंधान की एक परियोजना के दार्शनिक अनुसंधान की विस्तृत समीक्षा की जा रही है। इस परियाजना में ईसाई दर्शनशास्त्र, इस्लामिक दर्शनशास्त्र, सिखवाद, पारसीवाद आदि शामिल हैं। परिषद 'भारतीय दर्शनशास्त्र का समेकित इतिहास' परियोजना के तहत 15 खण्ड प्रकाशित करने की योजना बना रही है। उन्होंने उच्चतर शिक्षा के सभी शिक्षकों, वैज्ञानिकों आदि से अनुरोध किया कि परिषद की इस परियोजना में सहयोग करें।

65. भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष श्री डी.एन. त्रिपाठी ने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा से संबंधित ब्रिटिश सरकार के दस्तावेजों को एकत्र करने के लिए 1972–73 में आरंभ की गई एक परियोजना के बारे में बताया। परिषद को भारत में उपलब्ध सभी दस्तावेजों को एकत्र करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था जिनमें भारतीय नेताओं की भूमिका प्रदर्शित हुई है। उन्होंने बताया कि एक खण्ड का प्रकाशन हो चुका है और दूसरा भी शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा।

66. भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ के महासचिव प्रो. दयानन्द डोंगांवकर ने बताया कि देश के 306 विश्वविद्यालयों में से लगभग 277 विश्वविद्यालय परिसंघ के सदस्य हैं क्योंकि परिसंघ चुने हुए विश्वविद्यालयों को ही सदस्यता प्रदान करता है। उनका मानना था कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान लोक

संस्थान हैं और इनकी सफलता का प्रमुख कारण है कि उन्हें पर्याप्त अनुदान प्राप्त होते हैं और उन्हें कार्यकारी स्वायत्तता प्राप्त है। विभिन्न राज्यों में मूलभूत सुविधाओं, स्टाफ, मुख्यालय आदि के बिना बहुत से निजी विश्वविद्यालय खुल गए हैं और उनका मानना था कि इनकी वृद्धि को रोकने के लिए कड़े विनियामक तंत्र की आवश्यकता है। बड़ी संख्या में अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिसर हैं जो लाभप्रद पाठ्यक्रम चला रहे हैं और अत्यधिक शुल्क ले रहे हैं। लेकिन इनमें से कुछ विश्वविद्यालय अपने ही देश में प्रत्यायित नहीं हैं। इन मुद्दों पर भी उसी प्रकार ध्यान देने की आवश्यकता है जैसे व्यावसायिक संस्थाओं की प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क ढांचे पर दिया जाता है। उनका मानना था कि 'भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा शिक्षा उपग्रह आरंभ करने को ध्यान में रखते हुए सामग्री तैयार करने और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए विश्वविद्यालय प्रणाली को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शिक्षित करने की आवश्यकता है।

66.2 उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के उत्पाद उच्चतर शिक्षा की निविष्टियाँ हैं, अतः विश्वविद्यालयों को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। अतः स्कूल प्रणाली की शिक्षा पद्धति के सर्वेक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालयों को भी कुछ उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिए।

67. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. आर. नटराजन ने राष्ट्रीय तकनीकी तंत्र, इसकी विशेषताओं, कमियों, अवसरों और आशंकाओं को दर्शाने वाला 'स्वोट' विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इसकी विशेषताओं में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने की युवाओं की इच्छा, उनका कुशाग्र दृष्टिकोण, सरकारी प्रयासों में सहयोग देने के लिए निजी क्षेत्र के प्रयासों में वृद्धि, अकादमिक संस्थाओं के साथ सहयोग और भागीदारी करने के लिए 'सीआईआई', 'फिक्की', 'ऐसोचेम' जैसे औद्योगिक संगठनों और व्यावसायिक सोसाइटियों की बढ़ती रूचि, शिक्षा क्षेत्र की गुणवत्ता में सुधार का संवर्धन करने के लिए 'राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड' की प्रत्यायन पहलें, अनेक संस्थाओं विशेषतः राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को गुणवत्ता सुधार के लिए अत्यावश्यक संसाधनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 'विश्व बैंक' द्वारा 'टेक्चीप' अनुदान आदि शामिल हैं। जहां तक कमियों का संबंध है, उनका मानना था कि अनेक प्रबंधन तकनीकी शिक्षा को व्यवसाय अवसर के रूप में देखते हैं, योग्य और सक्षम संकाय की अत्यधिक कमी, उत्कृष्ट संस्थानों की सीमित संख्या, स्नातक इंजीनियरों में शिक्षण कैरियर और अनुसंधान डिग्री कार्यक्रमों हेतु रूचि न होना और संकाय पदों के लिए इंजीनियरी में पीएच डी की उपलब्धता न होना आदि शामिल हैं।

67.2 अवसरों के संबंध में उन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि प्रौद्योगिकी संवर्धन अधिगम, तकनीकी शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा की पहुँच में विस्तार तथा औपचारिक और सतत, दोनों शिक्षाओं की संभावनाओं में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी उपकरण उपलब्ध हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य संस्थाओं, तकनीकी संस्थाओं तथा आर. एण्ड डी. संस्थाओं के बीच तकनीकी संस्थाओं की नेटवर्किंग का काम चल रहा है। अंत में, एक ही संस्था में पढ़े स्नातक मूलभूत सुविधाओं हेतु सहयोग के लिए अपने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में बड़ा योगदान कर रहे हैं।

67.3 जहां तक चुनौतियों का संबंध है, उनका मानना था कि इनमें अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा, देश में तकनीकी संस्थाओं में क्षेत्रीय असंतुलन, ग्रामीण और औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में तकनीकी संस्थाओं की कम लोकप्रियता, विद्यार्थियों में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति, यद्यपि सूचना प्रौद्योगिकी स्वयं बहुत लोकप्रिय नहीं है, कम्प्यूटर विज्ञान

इलेक्ट्रोनिक्स और संचार इंजीनियरी के क्षेत्र में मुख्य रूचि, अंतरिक्ष, रक्षा, परमाणु ऊर्जा आदि जैसी राष्ट्रीय महत्व की परियेाजनाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रायोगिक अनुसंधान में रूचि में कमी आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में संस्थाओं के घनत्व और ग्रामीण–शहरी विभेद होने से तकनीकी शिक्षा प्रणाली में अनेक भेदभाव और असंतुलन है। इसके साथ–साथ उन्होंने यह भी कहा कि बहुत से लोगों के अनुसार प्रत्यायन प्रणाली स्वायत्तता को कम करती है और यह संस्थाओं की निम्न–स्तरीय गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी है।

67.4 बड़ी संख्या में इंजीनियर बनाने का विचार था जो स्वयं ठेकेदार बनकर रोजगार का सृजन करेंगे, क्योंकि रोजगार सृजन एक बहुत ही कठिन कार्य है। नई सदी में इंजीनियरों से विशेष गुणों की अपेक्षा है जिसमें से एक है स्वयं सीखने की योग्यता अर्थात स्वप्रेरित, स्वचालित और आजीवन सीखने की योग्यता। शिक्षा प्रशासकों, प्रधानाचार्यों और निदेशकों से नई अपेक्षाओं में संसाधनों की सक्रियता, उपभोक्ता–केन्द्रित अनुसंधान का विपणन, आई पी आर मुद्द, उत्कृष्टता और शिक्षा आपूर्ति प्रणाली शामिल है।

67.5 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के क्रियाकलापों का संक्षिप्त लेखा जोखा देते हुए प्रो0 नटराजन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद (नाक) के आधार पर तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) के आधार पर दोनों के द्वारा क्षेत्रिय इंजीनियरी कॉलेजों का राष्ट्रीय पहचान तथा सम–विश्वविद्यालय के दर्जे के रूप में स्वायत्ता और गुणवत्ता संबंधी पहल के साथ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में परिवर्तन की तरफ भी इशारा किया। तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को उनके सुधार के लिए अति आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे थे। यह (एनपीटीईएल) कार्यक्रम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा भारतीय प्रबंध संस्थानों द्वारा संचालित किया जा रहा था। इस कार्यक्रम से संकाय कमी की समस्या को हल करने में बहुत मदद मिलेगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को तीन मुख्य मुद्दों पर अधिदेश प्राप्त थाः मात्रात्मक विस्तार, गुणात्मक सुधार तथा नियमों तथा मानकों का अनुपालन। अन्य बातों में परिषद ने आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 4 परामर्शी बोर्डों का गठन किया अर्थात संकाय विकास बोर्ड, उद्योग–संस्था विचार–विमर्श बोर्ड, तकनीकी शिक्षा आयोजना बोर्ड तथा अनुसंधान बोर्ड। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा हाल में शुरू किये गये कार्यों में क्रेडिट आधारित सिमेस्टर प्रणाली के साथ सभी इंजीनियरी विषयों के लिए आधुनिक पाठ्यचर्या तैयार करना, प्रत्यायन के दृष्टिकोण से गुणवत्ता सुधार का आश्वासन इत्यादि शामिल है। क्षेत्रीय असंतुलन के संदर्भ में सभी संबंधित मानदंडों को देखा जा रहा था ताकि विशिष्ट राज्यों में किस तरह की प्रवेश क्षमता तैयार की जाए तथा उस विशेष राज्य के प्रौद्योगिक क्रियाकलाप, राज्य घरेलू उत्पाद, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा उदाहरण जिनमें कोई विशिष्ट विषय बहुत ही महत्वपूर्ण रहा हो को ध्यान में रखते हुए किन विषयों पर ध्यान दिया जाए, को निर्धारित किया जा सके।

68. सचिव (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग) ने उसके बाद लब्धप्रतिष्ठित प्रतिनिधियों को प्रश्न पूछने को आमंत्रित किया और प्रो0 पी वी इन्द्रेसन, सदस्य को मंच पर आमंत्रित किया।

69. प्रो0 पी0वी0 इन्द्रेसन ने कहा कि वर्ष 1980 के बाद से तकनीकी शिक्षा में कुल दाखिला 13 गुणा अर्थात् 28500 से 370,000, हो गया है जबकि अर्थव्यवस्था में मुश्किल से तीन गुणा तथा रोजगार के अवसर में मुश्किल से दुगुनी वृद्धि हुई है। आगे के तीन–चार वर्षों में उन्होंने सम्भावना जताई कि कई सौ हजार युवा रोजगार ढूंढ रहे होंगे, और इस तरह निकट भविष्य में काफी गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सर्वोच्च न्यायालय बहुत से निर्णय लेता

आ रहा है जो कि प्रशासनिक प्रकृति के थे, और इसलिए कानून को बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षा संबंधी प्रशासन राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्राधिकारियों के पास रहे।

69.2 चूँकि इंजीनियरी के शिक्षकों की कमी थी, इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि लेक्चरों के नाम मात्र के निवेश पर सीडी–रोम में छात्रों के बीच वितरण हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने सावधान किया कि कम्प्यूटर साक्षरता के सर्वसुलभीकरण के बिना अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती और उन्होंने माना कि चूंकि सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने के लिए प्रस्तावित है इसलिए लागत कोई समस्या नहीं होगी।

70. श्री कांति बिश्वास, शिक्षा मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार, ने उल्लेख किया कि छात्रों ने यू. एन.डी.पी. की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों में संबंधित आयु वर्ग के 24 प्रतिशत उच्च शिक्षा हेतु छात्रों ने दाखिला लिया था। लेकिन भारत के मामले में यह 10 प्रतिशत था। भारत में अनुसंधान तथा विकास हेतु सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.6 प्रतिशत ही आबंटित किया गया था, जोकि विश्व में सबसे कम था। विकासशील देशों में एक लाख जनसंख्या हेतु इंजीनियरों तथा तकनीकीशियनों की संख्या 355 था, लेकिन भारत में यह संख्या केवल 157 थी। इसलिए निवेश को बढाये जाने की आवश्यकता थी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जी.ए.टी.टी. में हस्ताक्षर करने वालों में से भारत एक था, इसलिए सरकार को या तो भारत के हितों की रक्षा को सुनिश्चित करना होगा अथवा जीएटीटी से बाहर हो जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा गया कि ज्योतिषशास्त्र जैसे विषयों, जो कि खगोल–विज्ञान से भिन्न है, भारत में औपचारिक शिक्षा के रूप में शुरू नहीं किया जाना चाहिए।

71. श्री प्रफुल्ल बिदवई, सदस्य, ने उल्लेख किया कि हाल के एक अध्ययन के अनुसार, 500 विश्वविद्यालयों को उत्कृष्टता तथा सक्षमता के आधार पर कोटिक्रम में रखा गया था जिसमें एक भी भारतीय विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि ब्राजील, मैक्सिको, सिंगापुर तथा चीन जैसे तृतीय विश्व के देशों के बहुत सारे विश्वविद्यालयों का नाम उस सूची में आया था। सूची में शामिल किये जाने वाले संस्थानों में केवल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली तथा भारतीय प्रबन्धन संस्थान, अहमदाबाद थे, जो कि मूल रूप से विश्वविद्यालय नहीं हैं। उनका विचार था कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कारण सम्भवतः यह था कि उच्च शिक्षा में निवेश को फिजुलखर्ची माना जाता है, जो कि निजी क्षेत्र को संभालने के लिए छोडा जा सकता है। बाजार आधारित अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में सरकार द्वारा उच्च शिक्षा पर खर्च काफी कम रहा था। उच्च शिक्षा के महत्व पर ज्यादा बल नहीं दिया जा सका क्योंकि प्राथमिक शिक्षा के लिए ही शिक्षक के रूप में रूप में संसाधन जुटाने की आवश्यकता थी। चिन्ता का दूसरा विषय कुल दाखिले की निम्न प्रतिशतता थी। जहाँ तक सम्पूर्ण रूप से मानव विकास का संबंध था, भारत का स्थान नीचे से तीसरा था और उच्च शिक्षा स्तर पर नीचे से चौथा अथवा पाँचवा स्थान था। निवेश की कमी, विशेषकर सामाजिक विज्ञान में, के कारण देश को हानि होना जारी है। प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा, कम्प्यूटर आदि के लिए काफी निधि उपलब्ध थी लेकिन सामाजिक विज्ञान, जोकि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, को बुरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे संस्थानों के लिए किया गया बजट प्रावधान निराशाजनक रूप से कम था। भारत में एक भी ऐसा पुस्तकालय नहीं था जिसे मुश्किल से भी विश्वस्तरीय कहा जाये। इनमें से कुछ मुद्दों पर गहन चिन्तन करने की आवश्यकता है। जहाँ तक निजीकरण का संबध है, यह एक बहुत ही खतरनाक प्रचलन था जो निजी विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता, समानता तथा पहुँच संबंधी पहलुओं का नाश कर रहा था। निजी विश्वविद्यालयों के पास एक कारपोरेट संचालित एजेंडा था जिसका उद्देश्य काफी संख्या में सेवा प्रदायक तैयार करना था।

उनका विचार था कि उच्च शिक्षा का यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए था और इसके लिए प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित किया जाना चाहिए था।

72. सुश्री आशा कुमारी, शिक्षा मंत्री, हिमाचल प्रदेश, ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के देश में चार राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए आग्रह किया कि राष्ट्रीय स्तर पर चार नये संस्थान स्थापित करने के बजाय विद्यमान कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों को विज्ञान क्षेत्र हेतु अनुदान देकर सुदृढ़ किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जब कभी विशेष वर्ग के राज्यों हेतु अनुदान पर विचार किया जाए उसमें हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल को भी स्वतः शामिल कर लिया जाए। सचिव (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग) ने उल्लेख किया कि कॉलेजों में विज्ञान के संवर्द्धन हेतु पहले से ही विशेष स्कीम उपलब्ध है।

73. श्री विनोद रैना, सदस्य, ने उल्लेख किया कि उसने तथा कुछ अन्य सदस्य, नामतः श्री अनिल सद्गोपाल, डा0 संदीप पाण्डे, सुश्री तीस्ता शीतलवाड, श्री यू0आर0 अनन्तमूर्ती, सुश्री महाश्वेता देवी, श्री गोपाल गुरू तथा अन्य ने मिलकर एक नोट तैयार किया है और उसे वे अध्यक्ष को सौंपना चाहेंगे। तैयार किये गये मुद्दे थेः (i) सामान्य स्कूल प्रणाली की आवश्यक नीति का कार्यान्वयन कर समानता संबंधी समस्या का तुरंत हल किया जाना चाहिए ताकि सभी के लिए सामान्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। जापान जैसे विकसित पूँजीवादी देश में भी प्रारम्भिक स्कूल एक सामान्य पड़ोसी स्कूल हुआ करता था। आज के सभी सामान्तर प्रणाली तथा अन्तरवर्ती प्रणाली को समाप्त किये जाने की आवश्यकता है तथा निजी स्कूलों को विभिन्न तरीकों से नियमित किये जाने की आवश्यकता है। जीएटीटी पर होने वाले सेवा संबंधी समझौते को रोका जाना चाहिए। (ii) सहायक सामग्री सहित विषय–सूची पाठ्यचर्या को विनियमित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविधान के प्रावधानों के विरूद्ध मूल्यों को किसी स्कूल में शामिल नहीं किया जा सके। (iii) उच्च शिक्षा सहित सभी स्तरों पर विषय–सूची तथा पाठ्यचर्या को सम्मान तथा मानव अधिकार संबंधी मूल्यों के साथ तैयार किया जाना चाहिए। (iv) चाहे वह स्कूल, कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय स्तर पर हो शिक्षक के पदों को सिर्फ संविदा आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए। (v) शिक्षा का बाजारीकरण भारत में समस्या का हल नहीं था। यह व्यापक स्तर पर राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए और (vi) बाल श्रम को समाप्त किये जाने की आवश्यकता थी, और ऐसे बच्चों को किसी सामान्तर स्कूलों के द्वारा नहीं बल्कि प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के द्वारा सामान्य स्कूलों में शामिल किये जाने की आवश्यकता है।

74. प्रो0 वी0आर0 पंचमुखी, अध्यक्ष, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, ने संकेत किया कि प्रारम्भिक शिक्षा के प्रति हाल का अत्यधिक उत्साह उच्च शिक्षा के अस्तित्व तथा खर्च के बल पर नहीं होना चाहिए। शिक्षण तथा अनुसंधान को सही तरीके से जोड़ना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षण तथा अनुसंधान करने वाले समुदायों के बीच कार्मिक तथा विचारों की गति बनी रहे। विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संगठनों के बीच विद्वानों के परस्पर आदान–प्रदान की सम्भाव्यता को परखा जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि गुणवत्ता तथा संदर्भ पर ध्यान नहीं दिये जाने के कारण, शिक्षण तथा अनुसंधान समाज की समस्याओं के लिए अप्रसांगिक होता जा रहा है और अधिकांशतः यह पुराने ढंग की पाठ्यचर्या पर निर्धारित थी, जोकि केवल पुनरावर्ती इत्यादि है। शिक्षण और अनुसंधान, नीतिशास्त्र, व्यवसाय, के प्रति जिम्मेदारी विकसित करने की आवश्यकता के साथ–साथ मूल्यों को भी विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने तीन अनुपूरक आर (R) की ओर इशारा किया जो नामतः शिक्षकों के लिए आदर (रिस्पेक्ट)माता–पिता के लिए आदर (रिस्पेक्ट) तथा प्रकृति के लिए आदर (रिस्पेक्ट) जो कि सामान्य तीन आर (रीडिंग, राइटिंग तथा अर्थमैटिक) का पूरक है।

74.2 जहाँ तक सामाजिक विज्ञान के संसाधनों में कटौती का सम्बंध है, इसमें उनके ढांचागत सुविधाओं को स्तरोन्नत करने के लिए एक बार का अनुदान अनुसंधान संस्थानों की सहायता कर सकता है। शिक्षण और अनुसंधान दोनों में, शारीरिक विज्ञान अनुसंधान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के बीच उपयुक्त सामंजस्य और सम्पर्क होना चाहिए। पाठ्यचर्या को चुनने में लचीलापन भी होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति बी.एस.सी. पाठ्यक्रम को पूर्ण करके अर्थशास्त्र में एम.ए. या समाजशास्त्र में एम.ए. अथवा इसके विपरित में आगे बढ़ सके।

74.3 प्रोफेसर पंचमुखी ने भी संकेत दिया है कि बहुत सारी विदेशी शैक्षिक दुकानें देश में आ रही थीं और सामाजिक विज्ञान हेतु बहुत सा विदेशी निधियन हो रहा था तथा यह महसूस किया गया कि इनसे भयंकर मुश्किलें थीं, क्योंकि इससे इन मुद्दों में निहित हमारी अवधारणा असफल हो सकती है अथवा इससे सम्बंधित समाधान असफल हो सकते हैं। हमारे अनुसंधान जहां तक सम्भव हो, देश में ही होने चाहिएं जिसमें समस्याओं के अभिनिर्धारण और उनके हल की प्रेरणा तृणमूल स्तर पर मिलती है इसके लिए किसी बाहरी एजेंसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हमें सावधान रहने की आवश्यकता थी क्योंकि विश्व व्यापार संगठन क्षेत्र के राज्य में शिक्षा को खुलकर दिया जाएगा जहाँ भूमण्डलीकरण प्रतिस्पर्धा के प्रभाव के बारे में देश में बहुत अधिक बहस नहीं हुई थी, जिसके कारण ''स्वदेशी'' को खतरा हो सकता है।

75. डॉ0 अनिल सद्गोपाल, सदस्य ने कहा है कि उच्चतर शिक्षा के मुद्दे बहुत गंभीर और उलझन वाले भी थे, तथा उन्होंने सुझाव दिया कि वस्तु अथवा सेवा के रूप में देखे जाने वाले शिक्षा के मुद्दों की जाँच पडताल करने के लिए केब को एक समिति का गठन करना चाहिए तथा निर्धारित समय–सीमा के अन्दर अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए। आज की सामाजार्थिक परिस्थितियों में सामान्यतः शिक्षा और विशेषतः भारतीय शिक्षा पर वैश्वीकरण और बाजार आधारित आदर्शवादिता के हमले के मुद्दे को देखते हुए यह आवश्यक है कि कोठारी आयोग के चार दशकों के पश्चात एक नये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाए जो इस बात की जांच करे कि पिछले चार दशकों में शिक्षा किस प्रकार प्रभावित हुई है, शिक्षा का भविष्य क्या है, शिक्षा के सामने नई चुनौतियां कौन सी हैं और इन चुनौतियों का सामना किस प्रकार किया जाना चाहिए।

76. श्री एम0ए0ए0फातमी, राज्य मंत्री ने बताया कि उन्हें प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा का कार्यभार दिया गया था और 'केब' के सदस्यों के विचार के लिए इस सम्बंध में कुछ शब्द कहना चाहेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार 2010 तक देश में सभी बच्चों को स्कूल तक लाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने देश में सभी बच्चों के लिए समान अवसर दिए जाने पर बल दिया विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों पर, जिनके पास शिक्षा का विशेष स्तर नहीं पहुंचा है तथा उन्होंने बताया कि अधिकांश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समुदाय के बच्चों को अभी तक स्कूल जाने का अवसर नहीं दिया गया है।

76.2 उन्होंने कार्यक्रमों के जमीनी स्तर पर वास्तविक कार्यान्वयन के अनुवीक्षण और महत्व की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए चेतावनी दी कि देश में कई स्कूल यह बोर्ड लगा देते हैं कि वे सी. बी.एस.ई. पाठ्यचर्या के तहत है, और इस प्रकार लोगों को गुमराह करते हैं। उन्होंने इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि संविदा आधार पर नियुक्त शिक्षक नामांकन आदि के आंकड़ों में हेर–फेर का प्रयास करते हैं और इन चीजों पर उपयुक्त रोक और नियंत्रण की आवश्यकता है।

76.3 उन्होंने देखा कि केवल समाज के एक छोटे से वर्ग ने ही अच्छी शिक्षा प्राप्त की और जो उच्च पदों को प्राप्त करने में समर्थ थे और समाज के विशिष्ट वर्ग से कुछ बच्चों का जीवन उज्जवल था परन्तु वे ऐसे स्तरों को प्राप्त नहीं कर सके। उन्होंने मुस्लिमों के कम साक्षरता दर के बारे में चिन्ता व्यक्त की और कहा कि अभी भी मुस्लिम लड़कियों में कम साक्षरता दर है। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया क्योंकि वे ही आगे भावी माताएं होंगी। अल्पसंख्यकों की शिक्षा के सम्बंध में, उन्होंने केन्द्रीय मदरसा बोर्ड के गठन की आवश्यकता व्यक्त की तथा आशा की कि मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और विज्ञान, गणित तथा कम्प्यटर आदि जैसे विषयों को इन मदरसों में लिया जाएगा। उन्होंने बैठक में प्रदर्शित नये केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के खोलने के विचार का भी स्वागत किया तथा कहा कि देश में शिक्षा के ढांचे में सुधार करने में ये कदम लम्बे चलेंगे।

77. मानव संसाधन विकास मंत्री ने अपनी समापन टिप्पणियों में श्री कपिल सिब्बल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), श्री एम0ए0ए0 फातमी, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, राज्य सरकारों के मंत्रियों और सभी लब्धप्रतिष्ठ विशेषज्ञों को उनके मूल्यवान सुझावों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी प्रख्यात विभूतियाँ हमारे बीच में हैं जिन्हें किसी संकीर्ण सीमा में आबद्ध नहीं किया जा सकता और उन्होंने ऐसी विभूतियों के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया, जिनमें अन्य के साथ–साथ श्रीमती महाश्वेता देवी और सुश्री निर्मला देशपांडे शामिल थीं। मानव संसाधन विकास मंत्री का मत था कि यद्यपि बैठक के आरंभ में कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ जिसकी कुछ हद तक आशंका भी थी, तथापि बैठक में उल्लेखनीय सहभागिता रेखांकित करने योग्य घटना है और इसमें अनेक बहुमूल्य सुझाव सामने आए।

77.2 समाचार में टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कि शिक्षा मंत्री देश की संस्कृति और अस्तित्व को राज्य के संकीर्ण दायरों में बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे, मानव संसाधन विकास मंत्री ने उल्लेख किया कि भारतीय राष्ट्र और संस्कृति किसी भी प्रकार की सीमाओं में सीमित करने के लिए बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा कि हम महान संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं तथा हमें उसी संयुक्त संस्कृति के प्रकाश में राष्ट्र का निर्माण करना है, जो हमें विरासत में प्राप्त हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पहचान रखनी चाहिए कि कठिन संघर्ष के बाद हमने स्वतन्त्रता प्राप्त की थी तथा हमारे सभी कार्य भारतीय संविधान और इसकी प्रस्तावना के अनुरूप होने चाहिएं तथा इससे विमुख होने वाली कोई भी बात हमारे देश के लिए खतरनाक होगी।

77.3 'केब' की बैठक में हुए विस्तृत विचार–विमर्श पर संतोष तथा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा समाज एक विस्तृत समाज है और जहां तक शिक्षा का संबंध है, अलग–अलग व्यक्तियों के अलग–अलग विचार हो सकते हैं और किसी एक व्यक्ति का विचार अंतिम नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि उनके व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार 'केब' एक आदर्श मंच है जिसमें लोगों ने खुले दिमाग से मुद्दों पर विचार–विमर्श किया। कभी–कभी कुछ कठोर शब्दों का आदान–प्रदान हुआ लेकिन उसके पश्चात प्रत्येक व्यक्ति ने सद्भाव बनाए रखने का प्रयास किया।

77.4 उन्होंने 'केब' की समितियों हेतु विस्तृत विचार–विमर्श के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का अभिनिर्धारण करने में 'केब' की परंपरा का उल्लेख किया और कहा कि इस बार भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का अभिनिर्धारण किया गया है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने 'केब' की निम्नलिखित सात समितियों की स्थापना का सुझाव दिया और इन समितियों के लिए सुझाए गए अध्यक्षों से उत्तरदायित्व संभालने का आग्रह कियाः

(i) श्री कपिल सिब्बल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री की अध्यक्षता में ''निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक तथा प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित अन्य मुद्दे'' ;

(ii) श्री तरूण गोगोई, मुख्यमंत्री, असम की अध्यक्षता में ''बालिका शिक्षा तथा साझी स्कूल प्रणाली'' ;

(iii) श्री घनश्याम तिवारी, शिक्षा मंत्री, राजस्थान की अध्यक्षता में ''माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण'' ;

(iv) श्री कांति बिश्वास, शिक्षा मंत्री, पश्चिम बंगाल की अध्यक्षता में ''उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्ता'' ;

(v) प्रो0 यू0आर0 अनन्तमूर्ति की अध्यक्षता में ''स्कूल पाठ्यचर्या में संस्कृति शिक्षा का समेकन'' ;

(vi) सह–अध्यक्षों के रूप में प्रो0 जोया हसन और प्रो0 गोपाल गुरू के साथ ''राजकीय प्रणाली के बाहर के स्कूलों में पढ़ाई जा रही पाठ्य–पुस्तकों और समानांतर पाठ्य–पुस्तकों के लिए विनियामक तंत्र'' ;

(vii) प्रो0 भालचन्द्र मुंगेकर, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में ''उच्चतर और तकनीकी शिक्षा का वित्तपोषण''।

77.5 उन्होंने कहा कि समितियों की संरचना का निर्धारण शीघ्र ही किया जाएगा और आशा जाहिर की कि ये समितियाँ 6 माह के भीतर अपनी सिफारिशें सौंप देंगी। अंत में उन्होंने बैठक में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों का धन्यवाद किया।

78. श्री सुदीप बैनर्जी, अपर सचिव ने अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद बैठक में उपस्थित होने तथा मार्गदर्शन करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्र और राज्य सरकारों के सभी मंत्रियों तथा गणमान्य सदस्यों का धन्यवाद किया और आशा प्रकट की कि वे भविष्य में भी इस प्रकार का मार्गदर्शन करना जारी रखेंगे। मंत्रालय की ओर से उन्होंने कहा कि जब भी आवश्यक हो, वे अपने सुझाव निस्संकोच प्रस्तुत कर सकते हैं।

————x————x————